घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 280- सोमवार 10- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार....

14वीं जेपीएससी परीक्षा होगी रद्द-रिपोर्ट में दावा

झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा....सरकार ने 98% मांगें मानी

रांची,09 अगस्त 2026। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच रविवार को तीसरे दौर की बातचीत हुई। राज्य अतिथि गृह में छह छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच करीब चार घंटे तक बातचीत चलती रही। इस बीच कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच कई मांगों पर सहमति बन गई है। हालांकि, इन फैसलों की सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने दावा किया है कि छात्रों की करीब 98% मांगें मान ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत के दौरान फिलहाल तीन परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति बनी है। इनमें जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025 और 14वीं प्रारंभिक परीक्षा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा अपराध अनुसंधान विभाग की जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करने की बात कही गई है। आर्थिक मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि,इन सभी बिंदुओं पर सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। छात्रों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी छात्र प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलनकारी छात्रों ने विधानसभा तक विशाल मार्च निकालने की घोषणा की है। अखिल भारतीय छात्र संघ ने भी 10 अगस्त के मार्च में शामिल होने की बात कही है। संगठन ने कहा है कि उसके कार्यकर्ता अपने संगठन का झंडा लेकर मार्च में शामिल नहीं होंगे। वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 11 अगस्त को विधानसभा तक अलग मार्च निकालने की घोषणा की है। छात्र आंदोलन के बीच कथित तौर पर दो गुटों के उभरने की बात भी सामने आई है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच और डुमरी विधायक जयराम महतो, जिन्हें 'टाइगर महतो' के नाम से भी जाना जाता है, से जुड़े एक अन्य गुट के बीच मतभेद बढ़ने की खबर है। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों गुटों के बीच असहमति इतनी बढ़ गई है कि वे बातचीत के लिए एक साथ बैठने से भी इनकार कर रहे हैं। हालांकि, आंदोलन के दोनों पक्षों की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। छात्रों के समर्थन में डुमरी के विधायक जयराम महतो भी पुराने विधानसभा परिसर में एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते उनका उपवास सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनाने में मदद कर सकता है।

परीक्षा रद्द करने की मांग मानी,लेकिन सीबीआई जांच पर अड़ गए छात्र

छात्र नेताओं ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि,प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में अब सीबीआई जांच भी शामिल है। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करने से मामला खत्म नहीं होगा। वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं और इसके लिए सीबीआई जांच की घोषणा की मांग कर रहे हैं।

आज विधानसभा मार्च का एलान

छात्र नेताओं ने साफ किया कि सीबीआई जांच की घोषणा होने तक वे किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने का एलान भी किया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक,जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं,आंदोलन जारी रहेगा।

झारखंड में जारी छात्रों के जबरदस्त आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने दिया इस्तीफा

रांची,09 अगस्त 2026। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया। आयोग के तीन मौजूदा सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीनों के त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिए हैं। तीनों सदस्यों का इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है, जब राज्य की अपराध अनुसंधान शाखा (सीआईडी) कथित परीक्षा अनियमितताओं के मामले में उनसे पूछताछ करने वाली थी। सीआईडी ने तीनों सदस्यों को सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया था। पूछताछ से ठीक एक दिन पहले तीनों ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। इन इस्तीफों को जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच के बीच महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, सदस्यों के इस्तीफे के पीछे उनके व्यक्तिगत कारणों अथवा जांच से संबंधित कोई प्रत्यक्ष कारण है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छात्र प्रतिनिधियों के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 14वीं जेपीएससी और 2023-25 की बैकलॉग भर्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आपराधिक पहलुओं की जांच सीआईडी से कराने का निर्णय लिया गया है। मंत्री के अनुसार, इन मामलों से जुड़े वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर त्वरित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद (आईआईटी-आईएसएम), भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची और जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर (एक्सएलआरआई) के विशेषज्ञों को शामिल किए जाने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि विशेषज्ञों की मदद से परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधार किए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जाएगा। वार्ता के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा को रद्द करने की मांग भी रखी। हालांकि, सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सरकार की ओर से कहा गया कि यह परीक्षा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आयोजित की गई है, इसलिए इसे रद्द करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस मुद्दे पर सरकार और छात्रों के बीच मतभेद बना हुआ है। सरकार ने कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि, छात्र प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

विश्व आदिवासी दिवस पर केजरीवाल का संदेश,आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ रही है आप

नई दिल्ली,09 अगस्त 2026। दुनियाभर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, 'विश्व आदिवासी दिवस की पूरे आदिवासी समाज को बहुत-बहुत बधाई। देश में आदिवासी समाज के साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। दूसरी पार्टियों द्वारा आपके जल,जंगल और जमीन पर डाका डाला गया। केवल आम आदमी पार्टी ही आपके अधिकारों के लिए लड़ रही है। आज चैतर वसावा जेल में हैं,क्योंकि वे आपकी आवाज उठा रहे थे। उनके जल्द बाहर आने के लिए प्रार्थना करें।' सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'पिछले 75 वर्षों में अदिवासी समाज के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। 75 वर्षों की देश की तरक्की हुई और बाकी सभी समाज के लोगों की तरक्की हुई, लेकिन आदिवासी समाज पीछे रह गया। आदिवासी समाज को जानबूझकर पीछे रखा गया। आदिवासी समाज के संसाधनों पर डाका डाला गया। ' केजरीवाल ने कहा,'जल,जंगल और जमीन आदिवासी समाज का पैदाइशी अधिकार है, लेकिन समाज से छीन कर बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे दिया गया,क्योंकि बाकी पार्टियों के नेता भ्रष्टाचारी थे। आम आदमी पार्टी आपके (आदिवासी समाज) अधिकारों के लिए लड़ रही है। इसके लिए कितनी बार हमारे नेता जेल गए। आज चैतर वसावा जेल में हैं,क्योंकि वे आपकी आवाज उठा रहे थे। उनके जल्द बाहर आने के लिए प्रार्थना करें। '

50 हजार का इनामी बदमाश मोनू पुलिस एनकाउंटर में ढेर,नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या मामले में था वांटेड

बुलंदशहर,09 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50 हजार रुपए का इनामी बदमाश मोनू मारा गया। मोनू 1 अगस्त को ककोड़ के वैर रेलवे स्टेशन पर नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांटेड था। मुठभेड़ में SWAT टीम के एक दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुठभेड़ गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव छपरावत के पास हुई। पुलिस और SWAT टीम को बदमाशों के इलाके में होने की सूचना मिली थी। टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोनू को गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। मुठभेड़ के दौरान गुलावठी और सिकंदराबाद थाना प्रभारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगीं। जैकेट के कारण दोनों सुरक्षित रहे। मौके से एक पिस्टल, दो मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में कॉम्बिंग अभियान चला रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

रेलवे स्टेशन पर यात्री से 3 करोड़ का सोना जब्त,गिरफ्तार...

नागपुर,09 अगस्त 2026। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना बरामद किया है। सोना तस्करी के इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई नागपुर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते तस्करी करके लाया गया सोना ट्रेन से भेजा जाएगा। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर नजर रखी। अधिकारियों को पता चला था कि यह सोना इसी ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति के जरिए अगली मंजिल तक पहुंचाया जाना है। इसके बाद डीआरआई नागपुर की टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर निगरानी जारी रखी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर संदिग्ध यात्री को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान से छिपाकर रखा गया सोना मिला।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात...कहा...'जो खेलेगा, वो खिलेगा'

नई दिल्ली, 09 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश का गौरव बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों और पदक विजेताओं से अपने दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, समर्पण और कठिन परिश्रम की सराहना की तथा उन्हें आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रति योगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान खेलों को लेकर अपना मूल मंत्र भी साझा किया। मुलाकात के बाद उन्होंने सामाजिक माध्यम इंस्टाग्राम पर खिलाड़ियों के साथ हुई बातचीत का एक वीडियो साझा किया,जिसमें खिलाड़ियों के साथ उनका उत्साहपूर्ण संवाद नजर आया। वीडियो में स्वर्ण पदक विजेता महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। उन्होंने उत्साह के साथ कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के सभी पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है और यह उनके लिए गर्व की बात है। साक्षी ने प्रधानमंत्री से भी कुछ कहने का आग्रह किया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो खेलेगा, वो खिलेगा। भारत के लिए हमेशा उत्साह बढ़ाएं! प्रधानमंत्री की इस बात के बाद सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर पूरे जोश के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल भारतीय खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहे। प्रतियोगिता में कुश्ती, बैडमिंटन, निशानेबाजी और हॉकी जैसे भारत के मजबूत माने जाने वाले खेल शामिल नहीं थे। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जूडो, एथलेटिक्स और दिव्यांग खिलाड़ियों की खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने कई स्पर्धाओं में मजबूत प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। मुक्केबाजी भारत के लिए सबसे सफल खेल रहा। भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने कुल 23 पदक अपने नाम किए। इनमें 5 स्वर्ण, 13 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहे।

ममता बनर्जी के काफिले पर हमला...

हालीशहर में पत्थर,बोतल और जूते फेंके,पूर्व सीएम बोलीं...खिड़की खुली होती तो सिर फट जाता

कोलकाता,09 अगस्त 2026। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हालीशहर में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। ममता बनर्जी मृत टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केवट के परिवार से मिलने पहुंची थीं। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर कीचड़, पानी की बोतलें, जूते-चप्पल और पत्थर फेंके। इस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

ममता बोलीं...हम सभी मारे जा सकते थे : घटना के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी कार पर बड़े-बड़े पत्थर और जूते फेंके गए। उन्होंने दावा किया, 'अगर कार की खिड़कियां खुली होतीं तो मेरा सिर फट जाता। हम सभी मारे जा सकते थे।'उन्होंने आरोप लगाया कि हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ,लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई।

भाजपा ने घटना से किया किनारा : ममता बनर्जी ने पुलिस पर भाजपा को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा इसका समर्थन नहीं करती और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का कोई संबंध नहीं है। दरअसल, टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केवट की शुक्रवार को पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार ने पुलिस पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।

छात्रों ने किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को बुलाए जाने का विरोध,बोले...युवाओं को कॉकरोच कहा

हैदराबाद,09 अगस्त 2026। हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडियासूर्यकांत को यूनिवर्सिटी के 2026 के कॉन्वोकेशन सेरेमनी की अध्यक्षता करने के लिए दिए गए न्योते का विरोध किया है। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत द्वारा अतीत में युवाओं को कथित तौर पर कॉकरोच कहने और अन्य बयानों का जिक्र करते हुए यह आपत्ति दर्ज की है। 2026 बैच के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार, फैकल्टी मेंबर्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे मेंबर्स को लेटर लिखकर सीजेआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने के फैसले पर फिर से सोचने की अपील की है। अधिकारियों को दिए गए लेटर में, स्टूडेंट्स ने हाल के ज्यूडिशियल डेवलपमेंट्स पर चिंता जताई है, जिसमें जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बारे में चीफ जस्टिस की कही गईं कथित बातें और भारतीय युवाओं की कथित तुलना कॉकरोच से करना शामिल है। लेटर में लिखा था,'हम स्टूडेंट्स माननीय सीजेआई सूर्यकांत को हमारे कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने को लेकर ग्रेजुएट हो रहे बैच की चिंताओं को साझा कर रहे हैं।''उन्होंने लेटर में आगे कहा...'युवाओं को कॉकरोच कहने से लेकर पुलिस की बर्बरता के वीडियो देखने का समय न होने के बारे में असंवेदनशील बयान देने तक,सीजेआई ने हम जैसे स्टूडेंट्स के प्रति बेपरवाही दिखाई है।

गृहमंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस कलर' सौंपा

पुडुचेरी,09 अगस्त 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस कलर' सौंपा।इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पुडुचेरी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार में साल 2014 से 2026 तक पुडुचेरी के विकास के लिए 13,762 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि साल 1950 से 2014 तक की सरकारों में सिर्फ 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो अब लगभग चार गुना अधिक है। अमित शाह ने पुडुचेरी के गोरिमेडु स्थित पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित समारोह में पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस कलर' से सम्मानित किया। उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी समेत अन्य गणमान्य समारोह में उपस्थित रहे। किसी पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर मिलना उसकी पेशेवर क्षमता, साहस, अनुशासन और जनसेवा की प्रतिबद्धता को मिली राष्ट्रीय मान्यता है। पुलिस संगठनों के लिए इसे प्रमुख संस्थागत सम्मानों में शामिल किया जाता है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा, आज पुडुचेरी पुलिस देश के उन चुनिंदा पुलिस बलों की सूची में शामिल हो गई है, जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया जाना बल की बहादुरी, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। यह उनके सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक है। पुडुचेरी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में केन्द्र सरकार ने पुडुचेरी में 39 हजार करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया है।

लखपति दीदी,जल जीवन मिशन,आयुष्मान भारत,शौचालयों का निर्माण, मुफ्त अनाज योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी पहलों से पुडुचेरी के नागरिकों को लाभ मिला है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दंड संहिता को तीन नए आपराधिक कानूनों से प्रतिस्थापित किया है।

पीएम आवास योजना-शहरी के तहत 1.25 करोड़ घर मंजूर,एक करोड़ पूरे

नई दिल्ली,09 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत केंद्र सरकार ने अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी है, जिनमें एक करोड़ से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को किफायती और पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए योजना के दूसरे चरण पीएमएवाई-यू 2.0 के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, 06 अगस्त को यहां संकल्प भवन में सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पीएमएवाई-यू 2.0 की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की आठवीं बैठक हुई। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 2.09 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई। ये आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात,जम्मू-कश्मीर,झारखंड,मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र,मणिपुर,ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंजूर किए गए। मंजूर किए गए 2.09 लाख आवासों में करीब 1.42 लाख लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के तहत हैं। इसमें लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं, 67,045 आवास किफायती आवास साझेदारी (एएचपी) के तहत हैं, जिनका निर्माण राज्यों के साथ सार्वजनिक या निजी एजेंसियों की साझेदारी में किया जाता है। नई मंजूरियों के बाद पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 18.38 लाख से अधिक हो गई है। इनमें 14.40 लाख बीएलसी, 2.48 लाख एएचपी, 1.36 लाख ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) और 13,046 किफायती किराये के आवास (एआरएच) के तहत हैं।

बैठक में योजना की प्रगति, स्वीकृत मकानों के निर्माण और पूर्णता, जियो-टैगिंग, धन के उपयोग, लाभार्थियों के सत्यापन और मकानों की स्थिति की समीक्षा की गई।

चीन में टाइफून डॉल्फिन का खतरा बढ़ा शंघाई में 1,300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल लाखों लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट

शंघाई,09 अगस्त 2026। चीन के तटीय इलाकों में टाइफून डॉल्फिन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तूफान के प्रभाव को देखते हुए शंघाई के होंगकियाओ और पुडोंग एयरपोर्ट से 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं, झेजियांग प्रांत में प्रशासन ने लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ के साथ भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। टाइफून डॉल्फिन के बाहरी हिस्से शनिवार को उत्तरी ताइवान से टकराए, जिसके बाद राजधानी ताइपे समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। रविवार सुबह तक तूफान की अधिकतम लगातार हवाओं की रफ्तार करीब 162 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान रविवार देर रात झेजियांग और पड़ोसी फुजियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ सकता है।

संपादकीय

परिसीमन बिल के आसार

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के बाद महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की घोषणा एक ओर जहां यह बताती है कि दोनों पुराने सहयोगी दल करीब आ रहे हैं,वहीं यह भी कि मोदी सरकार उक्त विधेयक को शीघ्र ही पारित कराने को लेकर गंभीर है।

हालांकि शिरोमणि अकाली दल का लोकसभा में एक ही सांसद है,लेकिन उसकी ओर से परिसीमन बिल का समर्थन करने की घोषणा इस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगी। यह उल्लेखनीय है कि जब संसद के बजट सत्र में इस विधेयक को लाया गया था,तब शिरोमणि अकाली दल ने उसका विरोध किया था। जैसे इस दल ने अपना रवैया बदला, वैसे ही कुछ अन्य दल भी बदल सकते हैं।

इसके संकेत भी मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र आने तक संसद की तस्वीर बदल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में टूट हो चुकी है और उसके 20 लोकसभा सदस्य एक नए दल का हिस्सा बनकर भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी कई सांसद भाजपा की सहयोगी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस से छिटक चुकी द्रमुक भी अपना रवैया बदल ले और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी। इससे सरकार का काम आसान हो सकता है।

यदि सभी राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होते हुए सचमुच देखना चाहते हैं तो उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर परिसीमन विधेयक का समर्थन करना ही होगा। जब सरकार सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमत हो गई है, तब फिर परिसीमन विधेयक के विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि परिसीमन विधेयक पारित नहीं होता तो महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने का संसद का वादा पूरा नहीं होगा।

यदि ऐसा नहीं होता तो आधी आबादी के सवालों का सामना सत्तापक्ष के साथ विपक्ष को भी करना होगा। सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव के बाद विपक्ष की यह दलील खोखली हो जाती है कि कुछ राज्यों और विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय होगा। विपक्ष को समझना होगा कि आबादी कम करने में सफल रहे राज्यों को राजनीतिक नुकसान तो तब होगा, जब परिसीमन नई जनगणना के बाद लागू होगा।
वर्तमान परिस्थितियों में यही उचित है कि परिसीमन विधेयक को संसद से पारित कर महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ किया जाए। इसमें जितना अधिक विलंब होगा, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने में उतनी ही देरी होगी।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान-तुर्की-ए-सऊदी अरब का नया नाटो की तर्ज पर रक्षा समीकरण

संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की बदलती सामरिक परिस्थितियों में पाकिस्तान,सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ नया रक्षा समझौता अंतर राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। 7 अगस्त 2026 को मक्का में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़,सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की उपस्थिति में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। समझौते का मूल प्रावधान यह है कि किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसे तकनीकी रूप से नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अनुच्छेद 5 के समान बताया है।

हालाँकि इस घटनाक्रम को समझने के लिए 2025 की घटनाओं पर लौटना आवश्यक है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या हुई। इसके बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नौ ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई आतंकवादी ढाँचे पर केंद्रित थी और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया।
ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद-रोधी नीति में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था,भारत आतंकवादी हमले और उसके पीछे मौजूद बुनियादी ढाँचे के बीच अंतर नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर सीमा पार स्थित आतंकवादी ढाँचे के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ा और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की। अंततः संघर्षविराम की स्थिति बनी। इसी व्यापक सामरिक पृष्ठभूमि में 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रैटेजिक डिफेंस म्युचुअल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि किसी एक देश के विरुद्ध आक्रमण दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। अमेरिकी सामरिक अध्ययन एजेंसी ने इसे नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी भाषा वाला समझौता बताया था। लेकिन यह कहना कि यह समझौता केवल ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर पाकिस्तान ने कराया,यह एक बड़ा कारण हो सकता है। सऊदी अरब की अपनी सुरक्षा चिंताएँ हैं और पाकिस्तान के साथ उसके दशकों पुराने सैन्य संबंध भी हैं। पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक,कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है,जबकि सऊदी अरब के लिए यह बदलते पश्चिम एशियाई सुरक्षा वातावरण में अपने सुरक्षा विकल्पों का विस्तार करने का माध्यम है। अतः इसके पीछे अनेक क्षेत्रीय कारण हैं। 2026 में इस समीकरण का दायरा और बढ़ गया। पाकिस्तान-सऊदी समझौते में तुर्किये शामिल नहीं था,लेकिन अगस्त 2026 के मक्का समझौते ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये को एक साझा रक्षा ढाँचे में ला दिया। समझौते में नियमित रक्षा एवं विदेश नीति परामर्श, सामरिक सहयोग और एक स्थायी सचिवालय जैसी व्यवस्थाओं का भी प्रावधान है। तुर्किये ने यह भी स्पष्ट किया है कि समझौता किसी विशेष देश–ईरान या किसी अन्य राष्ट्र–के विरुद्ध लक्षित नहीं है।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

फिर भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?
सबसे पहले,भारत को इसे तत्काल भारत-विरोधी सैन्य गठबंधन मानकर अपनी रणनीति बनानी होगी। यद्यपि समझौते में भारत का नाम शत्रु देश के रूप में नहीं है। तुर्किये ने भी इसे किसी विशेष राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बताया है। इसलिए वर्तमान समय में इसे औपचारिक रूप से भारत के विरुद्ध गठित सैन्य गठबंधन का स्वरूप माना जा सकता है।

दूसरा पहलू पाकिस्तान और तुर्किये के बढ़ते रक्षा संबंधों का है। तुर्किये ने पिछले वर्षों में पाकिस्तान के साथ रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्किये की पाकिस्तान के प्रति राजनीतिक और सामरिक निकटता भारत की निगाह में रही। ऐसे में नए त्रिपक्षीय समझौते से पाकिस्तान को कूटनीतिक और सामरिक आत्मविश्वास मिल सकता है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष सऊदी अरब है। भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा,व्यापार,निवेश और प्रवासी भारतीयों से जुड़े व्यापक संबंध हैं। इसलिए सऊदी अरब को केवल पाकिस्तान के साथ उसके रक्षा संबंधों के आधार पर भारत-विरोधी खेमे में रखना भारतीय विदेश नीति की जटिल वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ करना होगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह सऊदी अरब के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत रखते हुए पाकिस्तान के साथ उसके रक्षा सहयोग से उत्पन्न संभावित जोखिमों पर भी सतर्क रहे।
भारत के सामने सबसे प्रभावी रणनीति रणनीतिक संयम और बहुआयामी कूटनीति की होगी। भारत को खाड़ी देशों, तुर्किये और व्यापक इस्लामी जगत के साथ अपने आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करना होगा। साथ ही अपनी वायु रक्षा,मिसाइल क्षमता, समुद्री सुरक्षा, साइबर क्षमता और खुफिया तंत्र को लगातार सुदृढ़ करना होगा।

सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के साथ किसी भी भविष्य के तनाव में भारत को आतंकवाद और सामान्य पाकिस्तानी नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना होगा। भारत की ताकत केवल सैन्य क्षमता में नहीं,बल्कि उसकी आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता,कूट नीतिक पहुँच और वैश्विक विश्वसनीयता में भी है।

अतः पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किये रक्षा समझौते को भारत के लिए चेतावनी अवश्य माना जा सकता है,लेकिन इसे भारत के विरुद्ध दूरगामी सैनिक अवरोध के विरुद्ध एक आवश्यक संगठन भी माना जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य इच्छाशक्ति का परिचय दिया था;अब इस नए सामरिक समीकरण के बीच भारत की परीक्षा उसकी कूटनीतिक सूझबूझ,रणनीतिक धैर्य और दीर्घकालीन राष्ट्रीय शक्ति को संतुलित ढंग से इस्तेमाल करने में होगी।

प्रकृति के समीप रहकर ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो सकेगा...

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

प्रकृति एक चित्रकार है जिसने अपनी अदृश्य तूलिका से संसार को संवारा,धरती,आकाश,सूर्य,चन्द्रगिरि-कंदराएँ,नदी-नाले, समुद्रों में संतरंगी सा रंग बिखेरे है। बहुरंगी,पशुपक्षी, तितलियां जीव जन्तुओं को उपजाया है और उन सबका उपयोग करने हेतु धरती में सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मानव का निर्माण किया है। बौद्धिक प्राणी मानव ?

उसी मानव की निरन्तर विकास और सभ्यता की असीम तृषा ने प्रकृति का दोहन किया है । वह प्रकृति के गिरि कन्दरओं सरिता सागरों पर विजय पाने को आतुर है। आधुनिकता की दौड़ में शहर से लेकर गाँव तक सारे मार्गो को क्रांक्रीटों के जाल में तब्दील कर उसने जंगलों के वृक्षों को काट कर सीमेन्ट-कांक्रीट के जंगल खड़े करने में लगा है। निरन्तर शहरीकरण की दिशा में बढ़ते हुये वह भूल गया है कि दिया तले कितना अन्धकार गहराता जा रहा है। प्रकृति विजय के इस अभियान में वह स्वयं पराजित हो गया है अपने आस-पास उसने प्रदूषण का मकड़ज़ाल कब बना लिया, उसका उसे आभास ही नहीं लगा।

मनुष्य का अस्तित्व आज खतरे में है न तो शुद्ध ऑक्सीजन जो उसके लिए प्राणदायी है उसे मिल पा रही है और न ही जीवन कहलाने वाला जल ही शुद्ध हैं। कान फोड़ ध्वनियों ने मानव का चैन हर लिया है वह खिंचाव,गुस्सा एवं विक्षिप्तता महसूस करने लगा है। भूमि प्रदूषण में जंगलों का सफाया किया गया। आवासीय सुविधा हेतु भूमि की हरीतिमा का मिटाने की जो प्रक्रिया चल रही हे उससे अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही है। उर्वरकों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ रहा है।

यह सब क्यों और कैसे हो गया। हम क्यों नहीं सजग हुये अपने ही पैरों पर कुठाराघात करने को तैयार है? जैसे अनेक प्रश्न है। जिनका उत्तर आवश्यक है। मनुष्य स्वंय ही इन स्थितियों के लिये जिम्मेदार है। जब हर ओर से ये आवाज उठ रही हे पर्यावरण बचाओं तो हमें चेताया जा रहा है और सरकार अनेक योजनायों के तहत वृक्षारोपण में जुटी है जिसमें लगाये करोड़ों वृक्ष फाइलों में लहलहा रहे है किन्तु मनुष्य के नही चेतने से सरकारी खर्चा बढ़ रहा है और राजनैतिक लोगों की राजनीति में चारचाँद लग रहे है। किन्तु पर्यावरण को बचाने हेतु, जनता की ओर से यह विश्वास नहीं दिलाया जा सका है की वे हवा, पानी ओर भूमि की सुरक्षा करेंगे, उसका क्षय नहीं होने देंगे। यही कारण है जनता कुम्भकरणी नींद सोयी हुई है और जो सरकार है वह एनजीओ और जिला प्रशासन के दम पर वृक्षारोपण में जुट जाता है किन्तु उन वृक्षों को पानी देने और उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से वे पौधे पेड़ बनने से पहले ही मर चुके होते है।

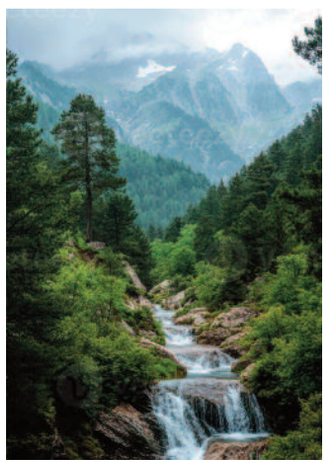

सोती हुई जनता के बिना पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा कैसे सम्भव है, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर आज भी अनुत्तरित है? समय कम बचा है प्रकृति विनाशकारी बनती जा रही है तो इसके पीछे कारण एक ही है की प्रत्येक व्यक्ति सजग नहीं है और न ही अपनी जिम्मेदारी को वह उठाना चाहता है फिर विचार कीजिये पर्यावरण को प्रदूषण से किस प्रकार से बचाया जा सकेगा? हमारे आस पास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। जिसमें मुख्यतः जल,वायु,पृथ्वी और आकाश सम्मिलित है। इनको बिना धरती के मनुष्य का अस्तित्व नहीं।इन

सबका प्रदूषित होना,संतुलन बिगड़ने ही प्रदूषण कहलाता है। जब मनुष्य प्रकृति के निकट था तो प्रदूषण न था किन्तु सभ्यता वर्चस्व की होड़ और अहंमन्यता ने मनुष्य को मृत्यु के कगार पर ला खड़ा किया है उसका निराकरण जरूरी है। प्रदूषण को संभालने के लिये सरकार और जिला प्रशासन अपनी सुविधानुसार कई विभागों में इसकी जिम्मेदारी बॉट कर काम कर रहे है पर सफलता दिखाई नही देती है लगता है काम करने वाली एजेंसियों अपने दायित्व के प्रति ईमान दार नहीं है अगर सभी में जिम्मेदारी का एहसास जाग जाए तो-जल प्रदूषण वायु प्रदूषण,ध्वनि प्रदूषण,भूमि प्रदूषण एवं वेबसाइटों पर समाचार प्रदूषण आदि पर लगाम लगाई जा सकती है।

आज जिस प्रकार पवित्र नदियों के जल में शवों को प्रवाहित करना,अस्थि विसर्जन करना,देवी देवताओं की प्रतिमाओं को विसर्जन पर रोक लगानी चाहिए जिससे सरितायें मैली न हो और विषाक्त जल का पान न करना पड़े। इसके अलावा कल कारखानों से जहरीली धातुओं के पानी, शहरी ग्रामीण लोगों के मल, मूत्र गंदे नालों का पानी भी नदियों तालाबों में आने से रोकना चाहिये। कह सकते है कि पानी को तो शुद्ध करके ही पीने के लिये भेजा जाता है लेकिन वह पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता है। नर्मदा हो या गंगा-यमुना,ब्रम्हपुत्र, कृष्णा,कावेरी आदि सभी नदियां धार्मिक विश्वासों सहित सभी जगह जी अस्पतालों निजी चिकित्सालय के मरीजों के गंदे वस्त्रों को धोने सहित सेकड़ों-हजारों की संख्या में होटलो-छात्रावासों के ओढ़ने बिछाने के कपड़ों को धोने,शहरी अमीरों के रोज के कपडे धोने सहित मृत और जन्म जैसे हालत में घरों के दूषित कपड़ों को धोने से आलावा अनेक स्थानों पर वाहनों को धोने,पशुओं के नहाने सहित मृत पशुओं को बहा देने के कारण इन नदियों का शुद्ध पीने वाल जल विषाक्त हो चूका है। गंगा, यमुना का पानी बनारस,कानपुर, इलाहावाद,आगरा,दिल्ली,मथुरा जैसे नगरों में प्रयोग में लाया जाता है, इन्हें स्वच्छ तो करना ही होगा साथ ही भविष्य में मैला न होने देने का प्रण लेना होगा। हजारों भक्तों द्वारा दीपदान तथा पूजा की सामग्री के विसर्जन न करने का संकल्प लेना हो। प्रदूषित जल-भूमि वनस्पति एवं जीव सबके लिये ध्वनि कारक है । परमाणु परीक्षण भूमि और मानव दोनों के लिए विनाशकारी है इसका, दुष्परिणाम हम जापान और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित लोगों में प्रत्यक्ष देख सकते है।

पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जिसमें मुख्यत : प्राणवायु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है इसके अलावा हिलियम,मीथेन, क्रिप्टान, हाइड्रोजन,कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस समूह बहुत कम मात्रा में होते है। धूल के कण और बाष्प भी वायुमण्डल में फैले रहते है।

भोले से मैने एक-एक बात कही...

कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम
इन्दौर, मध्यप्रदेश

मैंने भोले को देखा जबसे वहां,
मन फूल खिले और खिलते गए,
राह मैंने चुनी भक्ति की जहां,
मन मीत मिले और मिलते गए।
मैंने भोले को ...
मैंने मनका-मनका तोड़ा था,
शिव का दर्शन नहीं हो पाया,
जब मन का मनका जोड़ा तो,
भोले को दिल में ही पाया।
मैंने भोले को ...
पूनम की रात में बातों की,
मन भर गठरी मैनें खोली,
भोले से एक-एक बात कही,
कोई भी अधूरी ना छोड़ी।
मैंने भोले को ...
बातों में रम गए हम इतने,
ना दिन और रात का भान रहा,
आई जब रात अमावस की,
बस भोले में ही ध्यान रहा।
मैंने भोले को ...
मन प्राण बसे भोले मुझमें,
बस भोले-भोले कहता हूं,
बहती है प्रेम की गंगा जहां,
बस उसमें बहता रहता हूं।
मैंने भोले को ...

पेंशन की धूल भरी पासबुक

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

बैंक की शाखा में हर महीने की पहली तारीख को सत्तर साल के भवानी शंकर अपने फटे कुर्ते की जेब से हरे रंग की पुरानी पेंशन पासबुक निकाल कर कतार में सबसे आगे खड़े हो जाते थे। उस पासबुक पर जमी धूल को वे अपनी धोती के पल्ले से बार-बार पोंछते और उसे किसी अनमोल दस्तावेज़ की तरह सहलाते रहते थे। बैंक का युवा मैनेजर जब भी उन्हें काउंटर पर देखता तो चिढ़कर कहता कि बाबा आपकी पेंशन हर महीने सीधे खाते में जमा हो जाती है तो आप रोज़ सुबह यहाँ आकर पासबुक की छपाई का हठ क्यों पकड़ लेते हैं।भवानी शंकर अपनी झुकी हुई कमर को सीधा करने का प्रयास करते और बहुत शांत स्वर में उत्तर देते कि बेटा इस कागज़ पर जब तक काली स्याही से लिखावट नहीं छपेगी तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। पास खड़े गाँव के लोग उनका उपहास उड़ाते हुए कहते कि मासाब को लगता है कि बैंक वाले उनकी पेंशन की एंट्री छिपाकर रख लेंगे। दफ़्तर का चपरासी भी हँसते हुए तंज कसता कि बाबा जब खाते में कुछ होगा ही नहीं तो मशीन बेचारी क्या छापेगी। भवानी शंकर बिना किसी की बात का बुरा माने उस धूल भरी पासबुक को अपनी छाती से चिपकाए चुपचाप कुर्सी पर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते थे।
भवानी शंकर का यह सिलसिला पिछले दो वर्षों से लगातार जारी था चाहे तपती धूप हो या हाड़ कंपाने वाली ठंड। बैंक के कर्मचारी उन्हें एक सनकी और हठी बुज़ुर्ग मान चुके थे जो बिना किसी काम के रोज़ दफ़्तर का माहौल भारी कर देता था। एक दिन जब बैंक में बहुत भीड़ थी और सर्वर डाउन होने के कारण लोग हंगामा कर रहे थे तब भी भवानी शंकर शांत भाव से एक कोने में बैठे अपनी पासबुक को निहार रहे थे। मैनेजर ने तंग आकर उन्हें अपने केबिन में बुलाया और मेज़ पर हाथ पटकते हुए कहा कि बाबा आप रोज़ यहाँ आकर मेरा समय खराब करते हैं अगर आपको

अपनी पासबुक छपवाने का इतना ही शौक है तो किसी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा लीजिए। भवानी शंकर ने अपनी कांपती उंगलियों से चश्मा ठीक किया और बड़े आत्मीय भाव से बोले कि साहब जी मैं यहाँ अपनी पेंशन के पैसे निकालने नहीं आता हूँ बल्कि अपने स्वाभिमान की हाजिरी लगाने आता हूँ। मैनेजर ने अचरज से उन्हें देखा और पूछा कि अगर पैसे नहीं निकालने तो इस पासबुक में ऐसा क्या राज़ दबा है जिसे देखने के लिए आप इतने उतावले रहते हैं।

भवानी शंकर ने अपनी पासबुक को बहुत सहेजकर मैनेजर की मेज़ पर रख दिया और कहा कि साहब ज़रा इस पासबुक के पिछले पन्नों को पलटकर देखिए। मैनेजर ने अनिच्छा से पासबुक खोली और जैसे ही उसने पन्ने पलटना शुरू किया उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं। उस पासबुक में पिछले दो सालों से हर महीने पाँच सौ रुपये जमा होने की एंट्री दर्ज थी लेकिन वह पैसा सरकार की तरफ से नहीं आ रहा था बल्कि भवानी शंकर अपनी आधी पेंशन में से काटकर जमा करा रहे थे। मैनेजर ने भौंचक्का होकर पूछा कि बाबा आप अपनी ही पेंशन का आधा पैसा वापस सरकार के खाते में क्यों जमा कर रहे हैं। भवानी शंकर ने एक गहरी साँस ली और भरे गले से कहा कि दो साल पहले सरकार ने कागजी गड़बड़ी के कारण मेरे पड़ोसी रामसरन की पेंशन बंद कर दी थी क्योंकि उसके पास पहचान पत्र नहीं था। वह बूढ़ा हर दिन भूख से तड़पता था इसलिए मैंने अफ़सरों से झूठ बोलकर अपनी पेंशन का आधा हिस्सा उसके नाम से जमा करवाना शुरू किया ताकि बैंक से उसे मदद मिल सके।

भवानी शंकर ने बहते आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा कि आज सुबह ही उस गरीब रामसरन का निधन हो गया और वह बिना किसी सरकारी मदद के इस दुनिया से चला गया। मैं तो बस आज यह देखने आया था कि क्या मेरे इस फटे बहीखाते में दर्ज ईमानदारी उस बेबस इंसान की भूख को मिटा सकी या सरकारी व्यवस्था ने उसे भी एक कागजी एंट्री बनाकर छोड़ दिया। यह सुनते ही बैंक के केबिन में सन्नाटा पसर गया और मैनेजर की आँखों से आंसुओं के कतरे छलककर उस पुरानी पासबुक पर गिर पड़े। बाहर खड़े कर्मचारी और शिकायत करने वाले लोग शर्म से पानी-पानी हो गए क्योंकि जिस बूढ़े को वे सनकी समझ रहे थे वह एक भूखे इंसान के लिए अपने जीवन की कमाई लुटा रहा था। मैनेजर ने तुरंत उठकर भवानी शंकर के पैर छू लिए और उस धूल भरी पासबुक को अपने माथे से लगा लिया जहाँ व्यवस्था की संवेदनहीनता के सामने एक बुजुर्ग का निःस्वार्थ प्रेम जीत चुका था।

ढाका की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों की नई परीक्षा

ललित गर्ग,पटपड़गंज,नई दिल्ली

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की घोषणा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है,बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति,लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है। जिस समय बांग्लादेश की राजनीति सत्ता परिवर्तन,वैचारिक ध्रुवीकरण और संस्थागत अस्थिरता के दौर से गुजर रही है,उसी समय शेख हसीना ने यह घोषणा कर राजनीतिक विमर्श को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। उनका यह कहना कि 'गिरफ्तारी,जेल या मृत्यु का भय भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकता',उनके समर्थकों के लिए भावनात्मक आह्वान है तो विरोधियों के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती। बांग्लादेश में पिछले वर्ष सत्ता परिवर्तन के बाद जो राजनीतिक वातावरण बना, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीतिक सहिष्णुता पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के विरुद्ध सुनाया गया फैसला और उसके बाद उनके समर्थकों पर बढ़ती कार्रवाइयों ने यह संकेत दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे प्रतिशोध की राजनीति में बदलती जा रही है। हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे पूर्व क्रिकेट कप्तान साकिब अल हसन के घर पर हुआ हमला भी इस बात का संकेत है कि राजनीतिक असहमति अब सामाजिक तनाव का रूप लेने लगी है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के एक करीबी सहयोगी द्वारा शेख हसीना को 'तुरंत लौटकर सामना करने' की चुनौती देना बताता है कि बांग्लादेश का राजनीतिक वातावरण अभी भी सामान्य नहीं हुआ है।

लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल या नेता से असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति का समाधान न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी नेता की लोकप्रियता का उत्तर प्रतिबंध,दमन या भय के

वातावरण से दिया जाए,तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। शेख हसीना की वापसी को केवल एक व्यक्ति की वापसी के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि अवामी लीग को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश होती है,तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा। वास्तविकता यह भी है कि बांग्लादेश की राजनीति आज केवल अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनललिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान,1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत और भविष्य की वैचारिक दिशा का भी बन चुका है। अवामी लीग स्वयं को मुक्ति संग्राम की मूल चेतना का प्रतिनिधि बताती है, जबकि बीएनपी भी अब उसी विरासत पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। इतिहास की इस प्रतिस्पर्धी व्याख्या ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा किया है। ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना की वापसी केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बदलेगी,बल्कि राष्ट्रीय विमर्श की दिशा भी प्रभावित करेगी।
इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं हैं,बल्कि साझा इतिहास,संस्कृति,भाषा,आर्थिक सहयोग और सामरिक हितों पर आधारित हैं। पिछले डेढ़ दशक में दोनों देशों के संबंधों में अभूतपूर्व निकटता आई,जिसका एक बड़ा आधार शेख हसीना सरकार और नई दिल्ली के बीच बना विश्वास था। सीमा विवादों का समाधान,ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाएं,आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई तथा पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन ने इस विश्वास की नई परीक्षा शुरू कर दी है। नई दिल्ली ने एक ओर शेख हसीना को सुरक्षा और आश्रय दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने ढाका की नई सरकार से संवाद भी जारी रखा है। यही परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। भारत के सामने चुनौती किसी एक राजनीतिक दल के साथ खड़ा दिखाई देने की नहीं,बल्कि पूरे बांग्लादेश के साथ स्थायी और संतुलित संबंध बनाए रखने की है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला बारहवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसमें भाग लेते हैं और भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ सकारात्मक संवाद होता है, तो दोनों देशों के बीच हाल के तनावों को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह केवल औपचारिक शिखर बैठक नहीं होगी,बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का अवसर भी होगी। भारत को इस मंच का उपयोग केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए,बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता,लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा सहयोग पर भी स्पष्ट संवाद स्थापित करना चाहिए।

अनमोल वचन

महावीर स्वामी

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

CMYK

खाद्य विभाग का 'सुपर अफसर': एक दशक,कई जिले,अनगिनत प्रभार...आखिर राज क्या था?

नितेश कुमार मिश्रा ने खबर पर दिया अपना पक्ष...कहा...'प्रयोगशाला प्रभारी कभी नहीं रहा...शासन के आदेश पर हुई पदस्थापना'

10 साल...कई जिले...एक ही अधिकारी! अतिरिक्त प्रभार,प्रयोगशाला,पदोन्नति और विभागीय प्रभाव पर उठते सवाल...

सरकारें बदलती रहीं...लेकिन 'सुपर अफसर' नहीं बदले! कांग्रेस हो या भाजपा, एक दशक तक प्रभाव बरकरार रहने पर उठे सवाल...

एक अधिकारी...कई कुर्सियां...और अनगिनत सवाल,बलरामपुर से प्रयोगशाला तक,अतिरिक्त प्रभार और पदोन्नति की परतें खोलती पड़ताल

प्रयोगशाला से पदोन्नति तक प्रभाव के आरोप, विभागीय व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न

-न्यूज डेस्क

अंबिकापुर/रायपुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
सरकारी सेवा में स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है,अधिकांश अधिकारी समय-समय पर अलग-अलग जिलों,संभागों और मुख्यालयों में पदस्थ होते रहते हैं,लेकिन यदि कोई अधिकारी लगभग दस वर्षों तक एक ही संभाग के एक ही जिले व आसपास बना रहे, लगातार कई जिलों का अतिरिक्त प्रभार संभाले,महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी उसी के पास रहें और पदोन्नति के बाद भी उसका प्रभाव कम न हो,तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं,छत्तीसगढ़ के औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग में ऐसा ही एक नाम लंबे समय से चर्चा में है–नितेश कुमार मिश्रा,समर्थक उन्हें अनुभवी अधिकारी बताते हैं,जबकि विभाग के भीतर और शिकायतकर्ताओं के बीच उनके कार्यकाल,पदस्थापन, अतिरिक्त प्रभार,प्रयोगशाला,पदोन्नति प्रक्रिया तथा विभागीय प्रभाव को लेकर अनेक प्रश्न उठाए जा रहे हैं, यही प्रश्न इस विशेष रिपोर्ट का विषय हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी (अभिहित अधिकारी) नितेश कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके संबंध में प्रकाशित खबर में उनका पक्ष लिए बिना कई बातें प्रकाशित की गई हैं,उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कभी भी राज्य की खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी नहीं रहे हैं,उनका कहना है कि यदि इस संबंध में कोई सवाल है तो तत्कालीन नियंत्रक अथवा विभागीय सचिव से जानकारी ली जानी चाहिए,क्योंकि उनकी पदस्थापना और उन्हें दिए गए दायित्व शासन स्तर से आदेशित होते रहे हैं, मिश्रा ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान वे अपनी इच्छा से किसी एक स्थान या संभाग में नहीं रहे, बल्कि शासन और विभागीय अधिकारियों के आदेश के अनुसार उनकी पदस्थापनाएं और अतिरिक्त प्रभार तय होते रहे, उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी एक अधिकारी के पास चार जिलों की जिम्मेदारी है,इसलिए केवल उनके ही लंबे समय तक विभिन्न जिलों का दायित्व संभालने को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है,उन्होंने इस संबंध में विभागीय स्तर पर वास्तविक स्थिति जानने के लिए तत्कालीन नियंत्रक अथवा सचिव से जानकारी लेने की बात कही।

प्रयोगशाला प्रभारी होने के आरोप पर आपत्ति

नितेश कुमार मिश्रा की सबसे प्रमुख आपत्ति इस बात को लेकर है कि उन्हें राज्य की खाद्य प्रयोगशाला का प्रभारी बताया गया है,उनका कहना है कि उन्होंने कभी प्रयोगशाला प्रभारी के रूप में कार्य नहीं किया,हालांकि,इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों को लेकर अलग दावा सामने आया है,जिनमें उनके प्रयोगशाला से संबंधित प्रभार का उल्लेख होने की बात कही गई है, ऐसे में अब वास्तविक स्थिति विभागीय आदेशों और पदस्थापना संबंधी अभिलेखों से ही स्पष्ट हो सकती है, मिश्रा का कहना है कि यदि किसी दस्तावेज में उन्हें प्रयोगशाला का प्रभारी बताया गया है तो उस दस्तावेज की वैधानिक स्थिति और आदेश जारी करने वाले सक्षम अधिकारी से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए,उनका कहना है कि उनके कार्यकाल और दायित्वों को लेकर अंतिम तथ्य विभागीय रिकॉर्ड से ही सामने आ सकते हैं।

प्रधानमंत्री के भोजन परीक्षण वाले मामले पर भी दिया जवाब

प्रधानमंत्री के सूरजपुर दौरे के दौरान भोजन परीक्षण से संबंधित आदेश में'सुमित त्रिपाठी'नामक व्यक्ति को नमूना सहायक के रूप में शामिल किए जाने के मामले पर भी नितेश कुमार मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी,उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की पुलिस जांच हो चुकी है और उनके अनुसार सूरजपुर एसडीओपी स्तर पर इसकी जांच की गई है, हालांकि,उपलब्ध शिकायत और संबंधित दस्तावेजों में सुमित त्रिपाठी को नमूना सहायक के रूप में दर्शाए जाने तथा वास्तविक रूप से उस व्यक्ति की पहचान एवं विभागीय स्थिति को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं, विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से संबंधित अभिलेख में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं अथवा वह स्वयं वहां मौजूद नहीं होने की बात सामने आती है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस व्यक्ति का नाम भोजन परीक्षण संबंधी ड्यूटी आदेश में नमूना सहायक के रूप में किस आधार पर शामिल किया गया था? यही वह बिंदु है जिसकी स्वतंत्र रूप से दस्तावेजों के आधार पर पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

बाकी आरोपों पर आपत्ति नहीं,प्रयोगशाला प्रभार पर ही सवाल...

नितेश कुमार मिश्रा ने बातचीत में मुख्य रूप से प्रयोगशाला प्रभारी होने संबंधी उल्लेख पर आपत्ति जताई,वहीं, उनके पक्ष को प्रकाशित करते हुए यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि उनके द्वारा अन्य आरोपों पर कुछ नहीं कहा, और किन आरोपों को वे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, यह अलग-अलग विभागीय दस्तावेजों और उनके आधिकारिक जवाब से ही स्पष्ट होगा,मिश्रा का कहना है कि 10 वर्षों तक एक ही जिले में रहने अथवा अलग-अलग जिलों का प्रभार संभालने का निर्णय उनका व्यक्तिगत नहीं था। उनके अनुसार वे जहां भी पदस्थ रहे,वह शासन अथवा विभागीय अधिकारियों के आदेश के आधार पर रहा,इसलिए यदि किसी अधिकारी की लंबे समय तक एक क्षेत्र में पदस्थापना को लेकर सवाल हैं तो इसका जवाब पदस्थापना आदेश जारी करने वाले शासन और विभागीय स्तर से लिया जाना चाहिए।

अब दस्तावेज बनाम दावे से तय होगी वास्तविक तस्वीर

मिश्रा के पक्ष के सामने आने के बाद मामले में एक नया पहलू जुड़ गया है, एक तरफ अधिकारी का कहना है कि वे कभी खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी नहीं रहे, जबकि उपलब्ध बताए जा रहे दस्तावेजों में उनके प्रभार का उल्लेख होने का दावा किया जा रहा है,इसी तरह प्रधानमंत्री के भोजन परीक्षण से जुड़े आदेश में नमूना सहायक के रूप में दर्ज 'सुमित त्रिपाठी' की वास्तविक पहचान,पद एवं उस दिन की उपस्थिति भी जांच का विषय बनी हुई है,इसलिए इस पूरे मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय अब शासन के पदस्थापना आदेश, प्रभार आदेश,भोजन परीक्षण की ड्यूटी सूची,उपस्थिति संबंधी रिकॉर्ड,पुलिस जांच रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक बयान सामने आना अधिक महत्वपूर्ण है,यही दस्तावेज यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और किन बिंदुओं पर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है।

दिसंबर 2015 से शुरू हुई यात्रा

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार नितेश कुमार मिश्रा दिसंबर 2015 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त हुए, उनकी पहली पदस्थापना बलरामपुर जिले में हुई, इसके बाद विभागीय आदेशों के अनुसार उन्हें समय-समय पर सरगुजा,सूरजपुर और कोरिया जिलों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया, एक अधिकारी के पास मूल पदस्थापना के साथ कई जिलों की जिम्मेदारी रहना अपने आप में असामान्य नहीं है, लेकिन जब यह स्थिति वर्षों तक बनी रहे तो यह चर्चा का विषय बन जाती है,सवाल उठता है कि क्या विभाग में अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, या फिर किसी विशेष प्रशासनिक कारण से बार-बार अतिरिक्त प्रभार एक ही अधिकारी को दिया जाता रहा?

दस साल तक सरगुजा संभाग के इर्द-गिर्द

विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2015 से लगभग 2025 तक नितेश कुमार मिश्रा का कार्यक्षेत्र लगभग पूरा सरगुजा संभाग ही रहा,बलरामपुर में मूल पदस्थापना रहते हुए वे अलग-अलग समय पर सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया के अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहे,विभागीय गलियारों में इस पर व्यंग्य भी सुनाई देता है,कुछ कर्मचारी कहते हैं कि जैसे मिठाई की दुकान पर बर्रे (ततैये) लगातार मंडराते रहते हैं, वैसे ही वे वर्षों तक सरगुजा संभाग के इर्द-गिर्द ही बने रहे, यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, लेकिन इसके पीछे विभागीय असंतोष की झलक भी दिखाई देती है।

सरकार बदली,लेकिन पदस्थापन का सिलसिला नहीं बदला?-इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा–दोनों दलों की सरकारें रहीं,मंत्री बदले,वरिष्ठ अधिकारी बदले,लेकिन आलोचकों का कहना है कि नितेश कुमार मिश्रा की प्रशासनिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया,विभागीय चर्चाओं में यह प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या यह महज संयोग था या फिर विभागीय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था थी,जिसके कारण वे लगातार प्रभावशाली जिम्मेदारियों में बने रहे, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन यही कारण है कि उनके कार्यकाल को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं।

प्रमोशन के बाद भी गृह क्षेत्र के निकट पदस्थापना–जब नितेश कुमार मिश्रा को पदोन्नति मिली और वे जिला खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी बने,तब भी उनकी पदस्थापना उनके गृह क्षेत्र अंबिकापुर के निकट मानी जाने वाली जगह पर हुई,आलोचकों का कहना है कि यदि कोई अधिकारी लगभग पूरा सेवा काल अपने गृह क्षेत्र के आसपास ही बिताए, तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी पदस्थापनाओं का आधार क्या था।

खाद्य प्रयोगशाला में अर्चना तिवारी की पदस्थापना और पदोन्नति पर भी उठ रहे सवाल
खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच राज्य की एकमात्र खाद्य प्रयोगशाला में कार्यरत नमूना सहायक अर्चना तिवारी (यदि दस्तावेज़ों में अर्चना मिश्रा अंकित है तो उसी नाम का उल्लेख करें) का मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है,विभागीय सूत्रों का दावा है कि मूल रूप से बिलासपुर में पदस्थ रही नमूना सहायक को बाद में राज्य खाद्य प्रयोगशाला में संलग्न (अटैच) किया गया,आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि शिकायतों के बावजूद उन्हें प्रयोगशाला में बनाए रखा गया और अब उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिलाने की तैयारी चल रही है,सूत्रों के अनुसार, पिछले लगभग दस वर्षों से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियमित भर्ती नहीं हुई है,इसी दौरान नमूना सहायकों की पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के बाद विभाग में पदोन्नति की नई प्रक्रिया शुरू हुई है,आरोप लगाने वालों का कहना है कि इसी प्रक्रिया का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को दिलाने की कोशिश की जा रही है, आलोचकों का आरोप है कि यदि किसी नमूना सहायक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाया जाता है तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया राजपत्र में प्रकाशित नियमों, सेवा शर्तों और न्यायालयों में लंबित मामलों के अनुरूप हो, यदि नियमों की अनदेखी कर पदोन्नति दी जाती है, तो इससे भविष्य में फिर नए कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं, सूत्र यह भी दावा करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग के प्रभावशाली अधिकारियों की भूमिका की चर्चा विभागीय गलियारों में होती रही है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

एक साथ कई जिम्मेदारियां...

विभागीय सूत्रों का दावा है कि वर्ष 2024-25 के दौरान नितेश कुमार मिश्रा ने मूल पद के साथ-साथ सहायक आयुक्त (प्रभारी) तथा राज्य की एकमात्र खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी जैसी जिम्मेदारियां भी संभालीं, यदि ऐसा है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या विभाग में अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं थे? यदि थे, तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बार-बार एक ही अधिकारी को क्यों सौंपी गईं?

उड़नदस्ता और कंट्रोलर शर्मा का कार्यकाल

वर्ष 2023 में तत्कालीन कंट्रोलर शर्मा के कार्यकाल में खाद्य पदार्थों की जांच और प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एक विशेष उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) गठित किया गया था, विभागीय सूत्रों के अनुसार नितेश कुमार मिश्रा भी इस टीम का हिस्सा थे,कुछ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उड़नदस्ता की कार्यप्रणाली को लेकर बाद में शिकायतें हुईं,आरोपों के अनुसार कथित अनियमितताओं और वसूली जैसे मुद्दे उठे, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है,यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन शिकायतों पर विभागीय जांच हुई या नहीं और यदि हुई तो उसका निष्कर्ष क्या रहा,यदि शिकायतें निराधार थीं, तो विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, यदि शिकायतों में तथ्य थे,तो जिम्मेदारी किसकी तय हुई...यह भी सार्वजनिक होना चाहिए।

घटती-घटना
कोरिया समाचार
अम्बिकापुर मंगलवार 04 अगस्त 2026
6
प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला
कथित चूक की शिकायत पर भी नहीं हुई विभागीय जांच!
सरकारी आदेश में 'नमूना सहायक' का नाम दर्ज, शिकायतकर्ता से मांगे सबूत
नितीश कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप
नितीश कुमार मिश्रा
क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी शिकायत भी जांच के लायक नहीं थी?
रिकॉर्ड सरकार के पास,फिर भी शिकायतकर्ता से मांगे गए साक्ष्य...
सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता से मांगे सबूत,उप सचिव की भूमिका पर उठे सवाल...
लेकिन विभाग ने शिकायतकर्ता को ही बुला लिया-
अब सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं...

घटती-घटना
राजधानी समाचार
अम्बिकापुर शुक्रवार 07 अगस्त 2026
8
खाद्य विभाग का 'सुपरमैन' या व्यवस्था का सुपर मैनेजर?
दस साल... एक ही संभाग! और अब पदोन्नति में भी 'घर वापसी'!
औषधि एवं खाद्य प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन
एक अफसर, कई कुर्सियां और नियमों की नई परिभाषा!
2015 से 2025 तक का सफर
दिसंबर 2015 : खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति
पहली पदस्थापना : बलरामपुर
अतिरिक्त प्रभार : सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया
2024-25 : सहायक आयुक्त प्रभारी, राज्य खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी भी
2025 : पदोन्नति के बाद भी गृह जिला मुख्यालय के पास पदस्थापना !
10 साल तक एक ही संभाग के इर्द-गिर्द ड्यूटी
जुगाड़ या योग्यता?
कई कुर्सियां... एक ही अफसर!
प्रशासनिक सवाल ?
क्या एक अधिकारी के पास इतने प्रभार उचित हैं?
क्या नियमित भर्ती न करके पदोन्नति से पद भरे जा रहे हैं?
नियमों को बदलकर 'खास' लोगों को फायदा क्यों?
10 साल एक ही संभाग में रहने की ऐसी 'उपलब्धि'... किताबों में नहीं, फाइलों में मिलती है!
प्रयोगशाला में 'अपनों' का बोलबाला?
पदोन्नति का नया खेल?
स्थापना शाखा पर भी सवाल!
कौन है इस 'सिस्टम' का असली सुपरमैन... और क्यों उड़ रहे हैं सवालों के गुब्बारे?
खाद्य विभाग का 'सुपरमैन' या व्यवस्था का सुपर मैनेजर
एक अफसर, कई कुर्सियां और नियमों की नई परिभाषा!
अगले भाग में 'दस वर्षों की कमाई का हिसाब?

उड़नदस्ता,कंट्रोलर शर्मा और कार्रवाई का सवाल–विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023 में तत्कालीन कंट्रोलर शर्मा के कार्यकाल में खाद्य पदार्थों की जांच और प्रवर्तन कार्रवाई को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक विशेष उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) का गठन किया गया था,इस दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश कुमार मिश्रा को भी शामिल किया गया था,सूत्रों का दावा है कि उड़नदस्ता बनने के बाद कई जिलों में कार्रवाई हुई,लेकिन इसके साथ ही कथित अनियमितताओं और अवैध वसूली की शिकायतें भी उच्च स्तर तक पहुंचीं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि यदि शिकायतें सही थीं,तो उन पर क्या जांच हुई और उसका परिणाम क्या निकला,यह आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया,विभागीय गलियारों में यह चर्चा भी होती रही कि कथित शिकायतों का असर अंततः उड़नदस्ता की कार्यप्रणाली पर पड़ा और बाद में कंट्रोलर शर्मा को हटा दिया गया जिसके साथ व्यवस्था समाप्त हो गई,हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इसके पीछे वास्तविक प्रशासनिक कारण क्या थे? यदि शिकायतें निराधार थीं तो विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और यदि शिकायतों में तथ्य थे तो जिम्मेदारी किसकी तय हुई–यह भी सार्वजनिक होना चाहिए।

दैनिक घटती-घटना का पक्ष: नितेश कुमार मिश्रा का पक्ष इसलिए प्रकाशित किया जा रहा है ताकि खबर में लगाए गए आरोपों के साथ संबंधित अधिकारी का जवाब भी पाठकों के सामने रहे,जिन बिंदुओं पर उनके बयान और उपलब्ध दस्तावेजों में अंतर दिखाई देता है, उनकी स्वतंत्र विभागीय जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि आवश्यक है।

जर्जर भवन में डॉक्टरों की आपातकालीन ड्यूटी...

प्रसव कक्ष के बाद अब एनबीएसयू कक्ष भी असुरक्षित

रविवार सुबह करीब 9.30 बजे की घटना,कमरे में कोई मौजूद नहीं होने से बची जान

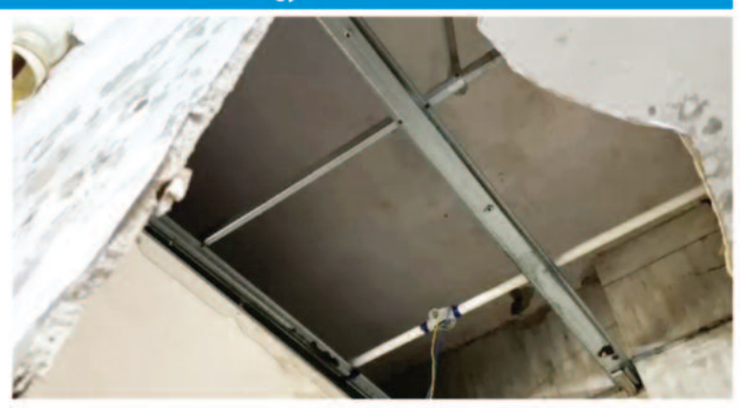

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन की हालत अब मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए खतरा बनती जा रही है। रविवार सुबह करीब 9.30 बजे नवजात शिशु देखभाल इकाई (एनबीएसयू) के एक कमरे की फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार रविवार को आपातकालीन ड्यूटी के लिए चिकित्सक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद एनबीएसयू के कमरे की फॉल सीलिंग गिरने की जानकारी सामने आई। घटना की सूचना तत्काल खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) को दी गई। बताया गया कि उक्त कमरे का उपयोग आपातकालीन ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों के ठहरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किया जा रहा था। ऐसे में फॉल सीलिंग गिरने की घटना ने भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले टूट चुका है प्रसव कक्ष : स्वास्थ्य केंद्र का प्रसव कक्ष भी पहले जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब एनबीएसयू कक्ष की फॉल सीलिंग गिरने से स्वास्थ्य केंद्र की भवन व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। यहां रोजाना उपचार के लिए मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं, वहीं स्वास्थ्यकर्मी भी ड्यूटी करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन के जर्जर हिस्सों की समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग को तत्काल भवन का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

कार्यक्रम में लगभग 20 हजार आदिवासियों ने की शिरकत

-संवाददाता-
राजपुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
9 जून विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजपुर के धान मंडी प्रांगण में आदिवासी समाज के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रभर से भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए।आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में करीब 20 हजार लोगों की भीड़ मौजूद रही। पारंपरिक वेशभूषा,पीले झंडों और आदिवासी संस्कृति की झलक से पूरा राजपुर आदिवासी एकता के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लालसाय मिंस एवं डॉ. प्रतिम राम रहे। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष दयासागर सिंह पैकरा सहित समाज के कई पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम पश्चात धान मंडी प्रांगण से विशाल रैली निकाली गई, जो राजपुर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सरगुजा पेट्रोल पंप तक पहुंची। रैली में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं बुजुर्ग शामिल हुए। हाथों में पीले झंडे और आदिवासी समाज के नारों के साथ निकली रैली ने पूरे नगर का माहौल उत्साह और जोश से भर दिया। इस भव्य आयोजन के आयोजक कृष्णनाथ टोप्पो रहे। कार्यक्रम में अनिल खलखो, देवबली, सुनील करकेटा, आलोक सिंह, अनिल भारती, रवि प्रताप मरावी, तेज प्रताप शांडिल्य, रंजीत बड़ा एवं पारसनाथ सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जल, जंगल, जमीन,

आदिवासी संस्कृति,परंपरा और अधिकारों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं में है,जिसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। विश्व आदिवासी दिवस का यह आयोजन राजपुर में आदिवासी एकता, संस्कृति और सामाजिक शक्ति का शानदार प्रदर्शन बनकर सामने आया। रैली में उमड़ा जनसैलाब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।

सीसीटीएनएस के लंबित कार्यों को लेकर एएसपी रितेश चौधरी ने ली समीक्षा बैठक

थानों के ऑपरेटरों को समय-सीमा में डाटा अपडेट करने के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रितेश चौधरी ने रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सभी थानों के सीसीटीएनएस / कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर लंबित एवं नियमित डाटा एंट्री कार्यों की पोर्टलवार समीक्षा की गई। एएसपी ने MedLEaPR में एमएलसी एवं पीएम से संबंधित प्रविष्टियां समय पर पूर्ण करने तथा मालखाना में जब्त माल की एंट्री से पहले जब्ती रजिस्टर को पूर्ण एवं अद्यतन रखने के निर्देश दिए। IG एवं DG Dashboard पर आवश्यक जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने और न्यायालयीन निर्णय से संबंधित Form No. 6 की प्रविष्टियां समय-सीमा में करने को कहा गया। बैठक में IIF-1 से IIF-5,e-FSL, e-Prosecution, e-Sign,NCRP,Crime App, GRM, MRM एवं समन्वय पोर्टल पर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। e-Prosecution के संबंध में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पूर्व पोर्टल पर अपलोड कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने कहा गया। इसके अलावा मोबाइल रिकवरी से संबंधित डाटा नियमित रूप से अपडेट करने तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए आम नागरिकों के बीच व्यापक साइबर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एएसपी श्री चौधरी ने कहा कि सभी सीसीटीएनएस ऑपरेटर अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें। तकनीकी अथवा संसाधन संबंधी समस्या होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उसका निराकरण सुनिश्चित करें। आगामी बैठक में पोर्टलवार प्रगति और लंबित कार्यों की पुनः समीक्षा की जाएगी।

बैठक में जिले के सभी थानों के सीसीटीएनएस / कंप्यूटर ऑपरेटर,साइबर सेल के अधिकारी-कर्मचारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर निवास के पीछे 12 साल से खड़ा 'खतरा', बांस की झुकी डालियां दे रहीं हादसे को न्योता

बिजली तार से टकराकर सड़क पर गिर चुका है बांस,निगम और बिजली विभाग को कई बार दी गई सूचना,स्थायी समाधान के बजाय हर साल आवेदन का इंतजार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
शहर में प्रशासनिक अधिकारियों के आवास के आसपास भी यदि किसी संभावित हादसे को रोकने के लिए वर्षों तक स्थायी कार्रवाई न हो तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। कलेक्टर निवास के पीछे स्थित शासकीय आवास परिसर में लगा बांस का पेड़ पिछले करीब 12 वर्षों से परेशानी और संभावित दुर्घटना का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बांस की डालियां लगातार सड़क और बिजली के तारों की ओर झुकती जा रही हैं, बावजूद इसके अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सामाजिक कार्यकर्ता वंदना दत्ता निवासी कनकरानी दत्ता मार्ग,(जनपद ऑफिस रोड) अम्बिकापुर ने इस संबंध में चिंता जताते हुए बताया कि बांस की डालियों से दुर्घटना की आशंका लंबे समय से बनी हुई है। उनका कहना है कि पिछले वर्ष बांस की डंगाल बिजली के तार से टकराकर सड़क पर गिर गई थी। उस समय तत्कालीन जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क करने के बाद तत्काल

कार्रवाई हुई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।

हर साल आवेदन,फिर कार्रवाई-स्थायी समाधान कब? वंदना दत्ता का कहना है कि पिछले कई वर्षों से समस्या सामने आने के बावजूद हर बार आवेदन देकर संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। सवाल यह है कि जब विभागों को समस्या की जानकारी लगातार दी जा रही है तो फिर स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? उनका आरोप है कि बिजली विभाग बरसात के मौसम में घरों एवं अन्य स्थानों पर पेड़ों की छंटाई करता है, लेकिन बिजली लाइन के बेहद करीब स्थित इस बांस के पेड़ की डालियों को उसी गंभीरता से नहीं हटाया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय में भी कई बार सूचना दिए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

व्यस्त मार्ग और स्कूली बच्चों की आवाजाही : सबसे गंभीर चिंता इस बात को लेकर है कि उक्त स्थान के आसपास जरूरतमंद बच्चों का स्कूल संचालित होता है और मार्ग पर लगातार लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में यदि बांस की भारी डालियां दोबारा बिजली तारों से टकराती हैं अथवा सड़क पर गिरती हैं तो बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली तार टूटने से करंट फैलने की स्थिति में राहगीरों और स्कूली बच्चों की जान पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकना प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी हादसे के बाद राहत, जांच और कार्रवाई करने से बेहतर है कि हादसा होने से पहले ही खतरे को खत्म किया जाए।

बड़ा सवाल-जिम्मेदारी किसकी?

मामला केवल एक बांस के पेड़ की छंटाई का नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है। जब संबंधित विभागों को वर्षों से इसकी जानकारी है और पूर्व में बांस की डंगाल बिजली तार से टकराकर सड़क पर गिर भी चुकी है, तो इसके बावजूद स्थायी व्यवस्था नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अब जरूरत इस बात की है कि नगर निगम और बिजली विभाग संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर बांस के पेड़ एवं बिजली लाइन की स्थिति का तकनीकी आकलन करें और आवश्यकतानुसार छंटाई अथवा सुरक्षित तरीके से पेड़ हटाने की कार्रवाई करें। सामाजिक कार्यकर्ता वंदना दत्ता ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिशीघ्र स्थायी समाधान किया जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने की नौबत न आए।

मैनपाट की खूबसूरती पर मेहता पॉइंट की अव्यवस्था भारी

एंट्री के नाम पर 20 से 150 रुपए वसूली का आरोप,पर्यटकों को नहीं दी जा रही रसीद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की खूबसूरत वादियां देशभर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन पर्यटन स्थल मेहता पॉइंट पहुंचने वाले पर्यटकों को यहां की अव्यवस्था निराश कर रही है। पर्यटकों ने आरोप लगाया है कि मेहता पॉइंट में प्रवेश के नाम पर 20 से 150 रुपए तक शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन इसके बदले उन्हें रसीद नहीं दी जा रही है। मामले में सबसे बड़ा सवाल शुल्क वसूली के आधार को लेकर उठ रहा है। जानकारी के अनुसार मेहता पॉइंट का टेंडर करीब छह महीने पहले ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में नई टेंडर प्रक्रिया के बिना शुल्क वसूली किए जाने के आरोपों ने व्यवस्था पर सवाल

खड़े कर दिए हैं। हालांकि शुल्क वसूली की वास्तविक स्थिति और इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी की स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पर्यटकों का कहना है कि प्रवेश शुल्क लिए जाने के बावजूद मेहता पॉइंट पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। परिसर में झूले भी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि बारिश के दौरान शेड से पानी टपकने की शिकायत सामने आई है। ऐसे में शुल्क देने के बाद भी अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिलने से पर्यटकों में नाराजगी है। एक ओर सरकार मैनपाट को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर मेहता पॉइंट की व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवाल पर्यटन विकास के दावों पर भी असर डाल रहे हैं।

मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

मामले को लेकर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही है। मैनपाट की प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रही है, लेकिन मेहता पॉइंट की व्यवस्था में सुधार की जरूरत साफ नजर आ रही है।

विश्व अदिवासी दिवस पर निकाली रैली,एकता संस्कृति और परंपराओं की दिखी झलक...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को शहर के कलाकेंद्र मैदान में मुख्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला-पुरुष शामिल हुए। इसके बाद शहर में रैली निकाली गई। रैली में समाज की एकता,संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। रैली कलाकेंद्र मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए।

इस दौरान पूरा माहौल आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन में समाज के महिला-पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। महिलाओं ने सफेद साड़ी के साथ पारंपरिक आभूषण धारण किए थे। वहीं पुरुष सफेद धोती, कुर्ता-पायजामा और पगड़ी पहने नजर आए। पारंपरिक परिधानों में सजे समाज के

लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया। रैली में युवक-युवतियां पारंपरिक गीतों पर नाचते-गाते नजर आए। नृत्य और गीतों के माध्यम से उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। रैली के दौरान समाज के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह दिवस आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और समाज में उनके योगदान को पहचानने और सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और आने वाली पीढियों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

पेट्रोल पंप के सामने पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर,दो युवक गंभीर

-संवाददाता-
उदयपुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

थाना क्षेत्र के अलकापुरी पेट्रोल पंप के सामने रविवार को तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय युवकों ने तत्काल घायलों को वाहन में लादकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार पिकअप क्रमांक जेएच 03 ए क्यू 1615 बिलासपुर की ओर से खीरा लोड कर अंबिकापुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान ग्राम चैनपुर निवासी दो युवक बाइक क्रमांक सीजी 15 डीजेड 3460 से चैनपुर से उदयपुर आ रहे थे। बताया गया कि अलकापुरी पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए जैसे ही सडक़ से पंप की ओर मुड़े, सामने से आ रही पिकअप ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।

तेज रफ्तार ट्रक से बाइक की भिड़ंत,13 वर्षीय बालिका की मौत

सहेली के साथ मंदिर जा रही थी बालिका, ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर राइट साइड पहुंची बाइक और ट्रक से भिड़ी

-संवाददाता-
भटगांव,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
थाना क्षेत्र में रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में 13 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा भटगांव एसईसीएल जीएम कार्यालय के पास सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने हुआ। घायल बालिका को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तिलसुआपारा निवासी 13 वर्षीय बालिका अपनी सहेली के साथ रविवार सुबह करीब 11.30 बजे बाइक से मंदिर जा रही थी। दोनों डीएव्ही स्कूल की ओर से होते हुए एसईसीएल जीएम कार्यालय के पास पहुंची थीं। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 29 एएच 5148 से बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक बालिका ट्रक की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल : हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बालिका को अस्पताल पहुंचाया। यहां उसका उपचार जारी है। पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सौंप दिया गया। बेटी की मौत की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ब्रेकर पर अनियंत्रित हुई बाइक : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक और ट्रक दोनों की रफ्तार काफी तेज थी। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कुछ दूरी पहले ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होकर सडक़ के दाहिनी ओर चली गई। इसी दौरान जगन्नाथपुर सीएचपी की ओर से आ रहे कोयला परिवहन में लगे ट्रक से बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर एक पॉलीथिन में अगरबत्ती सहित पूजा सामग्री भी बिखरी मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक,सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)
दूरभाष(का.)0771-2439564,0771-2331204,वेबसाइट- www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/GENS-2101/5669/2026/Exam/D1S/643756/2026
नवा रायपुर, दिनांक 04-08-2026

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (गृह विभाग) परीक्षा 2026 की समय-सारणी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2026/परीक्षा/ दिनांक 17.06.2026 के तहत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 20 सितंबर 2026 (रविवार) को जिला सरगुजा (अंबिकापुर),बिलासपुर, दुर्ग,बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी,जिसकी समय सारणी निम्नानुसार है -

DATE	DAY	TIME	SUBJECT
20.09.2026	SUNDAY	10.00 AM TO 01.00 PM	Part - 1 (General Knowledge) Part-2 (Law)

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जावेगा । अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र अथवा प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी कोई सूचना या SMS व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा ।

Digitally signed by
LEENA KOSAM
Date: 04-08-2026 10:50:41

(परीक्षा नियंत्रक)
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

जी.नं.- 262702632/3

CMYK

सहकारिता में 'हटाओ और लौटाओ' का खेल?

सोनपुर समिति में पुराने फैसलों पर फिर सवाल

सेवा से पृथक कर्मचारी की वापसी क्यों? सोनपुर समिति की बैठक ने खोले सहकारिता तंत्र के कई राज

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान 09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग का नाम सुनते ही आम आदमी के दिमाग में किसान, समिति,धान,खाद,ऋण और नियम-कायदे आते हैं,लेकिन सूरजपुर जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर,पंजीयन क्रमांक 580 के दस्तावेजों को देखकर लगता है कि यहां नियम-कायदे भी शायद मौसम की तरह हैं–कभी बरसते हैं,कभी सूख जाते हैं और कभी-कभी जरूरत के हिसाब से दिशा बदल लेते हैं,यहां कहानी इतनी सीधी नहीं है कि कर्मचारी काम पर था,फिर हटा दिया गया और मामला खत्म, यहां कहानी में एक और अध्याय है–हटाइए,फिर बैठक बुलाइए,फिर वापसी का रास्ता खोजिए,और अगर किसी को लगे कि यह केवल एक कर्मचारी की कहानी है तो सोनपुर की पुरानी फाइलें उसे तुरंत समझा देंगी कि मामला इतना छोटा भी नहीं है,क्योंकि इसी समिति से जुड़ा एक पुराना नाम साधना कुशवाहा का है,उनके संबंध में उपलब्ध सेवा समाप्ति आदेश में धान खरीदी के दौरान 3559.93 क्विंटल धान की कमी और पशुपालन ऋण वितरण में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख है, आदेश में 71 किसानों को कथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 1 करोड़ 88 लाख 59 हजार रुपये के ऋण वितरण का भी उल्लेख किया गया है,अब नई कहानी में प्रवेश होता है विवेक कुमार चौरसिया का,और यहीं से सवाल पैदा होता है की क्या सोनपुर समिति में सेवा समाप्ति वास्तव में 'समाप्ति' होती है या फिर यह केवल अगली बैठक तक का अंतराल है?

क्या विभाग है साधना कुशवाहा पर मेहरबान?

2020-21 की धान खरीदी अनियमितता के बाद भी फिर जिम्मेदारी, 25-26 में करीब 13 हजार क्विंटल कमी का आरोप-सोनपुर समिति की तत्कालीन धान खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा को लेकर सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं,उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2020-21 की धान खरीदी में 3559.93 क्विंटल धान की कमी का मामला सामने आई, वर्ष 2022-23 में सोनपुर और शिवप्रसादनगर समिति से संबंधित पशुपालन ऋण वितरण में भी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख आदेश में है,दस्तावेज के अनुसार 71 किसानों को कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से करीब 1 करोड़ 88 लाख 59 हजार रुपये का ऋण वितरित किए जाने की बात जांच में सामने आई थी, यानी एक तरफ धान की कमी,दूसरी तरफ ऋण वितरण की गड़बड़ी, ऐसे में सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ, इसके बावजूद बाद के वर्षों में उन्हें फिर से धान खरीदी की जिम्मेदारी मिलना सवालों के घेरे में है,इतना ही नहीं,वर्ष 2024-25 और 2025-26 में भी उन्हें धान खरीदी प्रभारी बनाया गया,सबसे गंभीर सवाल वर्ष 2025-26 की धान खरीदी को लेकर है,जिसमें उन पर करीब 13 हजार क्विंटल धान की कमी का आरोप लगने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई,इसके बाद भी आरोप है कि वास्तविक कमी को परिवहन के कागजों में समायोजित कर शून्य शॉर्टेज दिखाने का खेल किया गया,यदि यह आरोप दस्तावेजी जांच में सही पाया जाता है तो मामला केवल धान की कमी तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि यह सरकारी रिकॉर्ड में वास्तविक स्टॉक और कागजी स्टॉक के बीच अंतर को छिपाने की गंभीर प्रशासनिक जांच का विषय बन जाएगा,सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस व्यक्ति पर पहले ही धान खरीदी में कमी का गंभीर मामला सामने आ चुका था,उसी व्यक्ति को दोबारा धान खरीदी जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी देने का आधार क्या था? और यदि 2025-26 में फिर हजारों क्विंटल की कमी सामने आई तो संबंधित अधिकारियों ने जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ उस अवधि में उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुमति देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच क्यों नहीं की? यह पूरा मामला अब एक कर्मचारी की कार्रवाई से आगे बढ़कर सहकारिता विभाग की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था का सवाल बन गया है,विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि 2020-21 की कार्रवाई के बाद साधना कुशवाहा को 2024-25 और 2025-26 में किस आदेश,किस नियम और किस अधिकारी की स्वीकृति से धान खरीदी प्रभारी बनाया गया। साथ ही 2025-26 की कथित करीब 13 हजार क्विंटल कमी के मामले में वास्तविक भौतिक सत्यापन,परिवहन अभिलेख और शून्य शॉर्टेज दर्ज किए जाने की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, सवाल सिर्फ यह नहीं कि धान कहां गया, सवाल यह भी है कि जिस पर पहले सवाल उठ चुके थे,उसे बार-बार उसी धान के ढेर की चाबी किसने सौंपी?

पहले हटाइए,फिर देखिए बैठक क्या कहती है!

दस्तावेजों के अनुसार विवेक कुमार चौरसिया को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी लिपिक के रूप में रखा गया था,बाद में उन्हें 9 जुलाई 2025 को समिति एवं समिति के समस्त कार्यों से पृथक किए जाने की जानकारी सामने आई,अब कैलेंडर को थोड़ा आगे बढ़ाइए,साल 2026,6 अगस्त को समिति की ओर से एक पत्र जारी होता है, शीर्षक है, संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित रहने बाबत, बैठक की तारीख 7 अगस्त 2026,समय–दोपहर 1 बजे, स्थान–समिति कार्यालय सोनपुर,अब आम आदमी का सवाल होगा की बैठक किसलिए? लेकिन सहकारिता की दुनिया शायद आम आदमी से थोड़ी अलग भाषा बोलती है,नोटिस में बैठक का विस्तृत विषय स्पष्ट नहीं है,यानी पहले बैठक बुलाइए,फिर बैठक में क्या होगा यह बैठक ही बताएगी! यह व्यवस्था लोकतांत्रिक हो सकती है,लेकिन पारदर्शिता के पैमाने पर सवाल जरूर खड़े करती है,क्योंकि अगर बैठक में किसी पूर्व कर्मचारी को वापस लेने का प्रस्ताव होना है तो समिति के सदस्यों को पहले से पता होना चाहिए कि वे किस विषय पर निर्णय लेने जा रहे हैं,वरना तो यह भी कहा जा सकता है कि एजेंडा इतना गोपनीय है कि शायद उसे बैठक शुरू होने के बाद ही खुद बैठक से पता चलेगा।

9 जुलाई 2025 से 7 अगस्त 2026 तक...कर्मचारी बाहर,फाइल अंदर!

विवेक कुमार चौरसिया के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें जिस आधार पर 9 जुलाई 2025 को समिति से पृथक किया गया, उस आधार का क्या हुआ? क्या वह आदेश निरस्त हुआ? क्या उसके विरुद्ध अपील हुई? क्या किसी सक्षम अधिकारी ने बहाली का आदेश दिया? क्या न्यायालय ने कोई निर्देश दिया? क्या पूर्व नियुक्ति की वैधता की जांच की गई? क्या दोबारा नियुक्ति के लिए सेवा नियमों का पालन किया गया? या फिर 'संचालक मंडल की बैठक' नामक वह दरवाजा खोला गया जिसके रास्ते पुरानी फाइलों को नई जिंदगी मिल जाती है? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों से मिलना चाहिए, और यही इस मामले की असली परीक्षा है।

सहकारिता का नया फार्मूला–सेवा समाप्ति प्लस बैठक बराबर पुनर्वापसी?

अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यंग्य की भाषा में समझें तो सहकारिता में शायद एक नया गणित विकसित हो गया है–सेवा समाप्ति + समय का अंतराल + संचालक मंडल की बैठक = पुनर्विचार! हालांकि यह केवल व्यंग्यात्मक सवाल है, वास्तविकता का निर्धारण दस्तावेज और नियम ही करेंगे,लेकिन सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एक तरफ कर्मचारी को हटाने का आदेश है और दूसरी तरफ बाद में उसी व्यवस्था में वापसी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं,यदि किसी कर्मचारी को गलती या अनियमितता के कारण हटाया गया है तो उसकी वापसी के लिए पहले पुराने मामले की समीक्षा होनी चाहिए,अगर वह केवल प्रशासनिक कारणों से हटाया गया था तो भी वापसी की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए,और यदि उसकी नियुक्ति ही अस्थायी थी तो पुनः रखने के लिए नई नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं? सहकारिता में 'अस्थायी' शब्द कहीं स्थायी अधिकार में तो परिवर्तित नहीं हो रहा? यह सवाल अब समिति के बाहर भी पूछा जा रहा है।

श्यामलाल सिंह की बैठक और दुर्गा चरण सिंह का पुराना निर्णय

इस मामले में वर्तमान प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक श्यामलाल सिंह की भूमिका भी जांच के दायरे में रखे जाने की मांग उठ रही है,उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार 6 अगस्त 2026 को उनके कार्यालय से संचालक मंडल की बैठक के लिए सभी समिति कर्मचारियों को सूचना दी गई। बैठक 7 अगस्त को रखी गई,वहीं पूर्व में विवेक कुमार चौरसिया को समिति के कार्य से पृथक करने की कार्रवाई तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी दुर्गा चरण सिंह के कार्यकाल में हुई थी,अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व आदेश की समीक्षा करने का अधिकार और आधार है? यदि है तो प्रक्रिया क्या है? क्या बैठक से पहले पुराना आदेश पढ़ा गया? क्या नियुक्ति की मूल फाइल मंगाई गई? क्या सेवा नियमों की जांच हुई? क्या समिति के सदस्यों को सभी तथ्य बताए गए? या फिर बैठक में पहले निर्णय और बाद में कागज बनाने की परंपरा चलेगी? कागज पहले या निर्णय पहले–सहकारिता विभाग ही बताए।

हटाओ भी,लौटाओ भी! सोनपुर सहकारी समिति में सेवा समाप्ति के बाद वापसी का खेल?

सहकारिता में 'कुर्सी का खेल'! सेवा समाप्ति के बाद भी वापसी का रास्ता,सोनपुर समिति में नियमों पर उठे सवाल

9 जुलाई 2025 को हटे विवेक चौरसिया की अगस्त 2026 में वापसी की तैयारी? संचालक मंडल की बैठक ने खड़े किए कई सवाल

सोनपुर समिति में सेवा समाप्ति भी स्थायी नहीं! हटाओ, फिर बैठक बुलाओ और वापस लाओ?

धान खरीदी से लेकर नियुक्ति तक सवालों के घेरे में सोनपुर समिति,पुराने चेहरे फिर लौटने की तैयारी में

जिसे समिति से हटाया,उसी की वापसी का रास्ता तैयार? सोनपुर में संचालक मंडल की बैठक पर सवाल

साधना के बाद अब विवेक की वापसी! सोनपुर सहकारी समिति में कार्रवाई और बहाली के खेल पर उठे सवाल

'बैठक' लोकतंत्र की ताकत है,लेकिन एजेंडा भी तो चाहिए!

संचालक मंडल की बैठक किसी भी सहकारी संस्था में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है,बैठक में निर्णय लिए जाते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं और संस्था के हित में कार्रवाई की जाती है, लेकिन बैठक का विषय स्पष्ट न हो तो सवाल पैदा होना स्वाभाविक है,क्योंकि अगर बैठक में कर्मचारी बहाली का प्रस्ताव होना है तो यह गंभीर प्रशासनिक विषय है,अगर वित्तीय निर्णय होना है तो उसका भी एजेंडा होना चाहिए, अगर नियुक्ति या सेवा संबंधी निर्णय होना है तो संबंधित नियमों का उल्लेख होना चाहिए,और अगर कुछ भी नहीं है तो सवाल यह है कि बैठक आखिर किसलिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि एजेंडा भी वही है जो बैठक के बाद तैयार होगा? व्यंग्य अलग है, लेकिन प्रशासनिक पारदर्शिता का सवाल वास्तविक है।

सोनपुर की फाइल पूछ रही है मुझे पढ़ोगे या फिर रख दोगे?

सोनपुर समिति के मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज खुद कई सवालों की ओर इशारा कर रहे हैं,एक तरफ साधना कुशवाहा की सेवा समाप्ति का आदेश है, जिसमें धान की कमी और ऋण वितरण की गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख है, दूसरी तरफ विवेक कुमार चौरसिया को 9 जुलाई 2025 को कार्य से पृथक किए जाने का मामला है,तीसरी तरफ 6 अगस्त 2026 को संचालक मंडल की बैठक का नोटिस है, और चौथी तरफ यह सवाल कि आखिर सेवा से हटाए गए लोगों को दोबारा कार्य में रखने की प्रक्रिया क्या है? यदि सब कुछ नियमसम्मत है तो विभाग को डरने की जरूरत नहीं,पूरी फाइल सार्वजनिक कर दीजिए,नियुक्ति आदेश दिखाइए,पृथक्करण आदेश दिखाइए,बहाली का आदेश दिखाइए,अपील है तो दिखाइए,न्यायालयीन आदेश है तो दिखाइए,सेवा नियम दिखाइए,फिर जनता खुद तय कर लेगी कि मामला नियम का है या 'कुर्सी प्रबंधन' का।

और अब असली सवाल-किसकी जिम्मेदारी?

यह मामला केवल सोनपुर समिति के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि समिति में नियुक्ति और सेवा समाप्ति की प्रक्रिया किस नियम के तहत चल रही है,संयुक्त आयुक्त सहकारिता सरगुजा संभाग,उप आयुक्त/उप पंजीयक सहकारिता सूरजपुर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संबंधित शाखा को रिकॉर्ड की समीक्षा करनी चाहिए,क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को हटाने के बाद बिना स्पष्ट प्रक्रिया के वापस रखा जाता है तो इसका सीधा असर समिति के प्रशासन और किसानों के विश्वास पर पड़ेगा,सहकारी समिति में कर्मचारी केवल फाइल नहीं संभालता। वह धान खरीदी,किसानों के रिकॉर्ड,ऋण,भुगतान और संस्था के आर्थिक व्यवहार से जुड़ा हो सकता है, इसलिए नियुक्ति का सवाल केवल नौकरी का सवाल नहीं है, यह किसानों के पैसे और संस्था के भरोसे का सवाल है।

साधना से विवेक तक-क्या सोनपुर में 'रिटर्न ऑफ द रिमूव्ड' चल रहा है?

व्यंग्य में कहें तो सोनपुर समिति में शायद नई योजना शुरू हो गई है– कार्य से पृथक कर्मचारी पुनर्वास योजना,पहले कर्मचारी हटेगा, फिर कुछ समय तक फाइल शांत रहेगी,फिर कोई बैठक होगी,फिर प्रस्ताव आएगा, फिर नियम खोजे जाएंगे,और अंत में यदि सब कुछ ठीक बैठ गया तो कर्मचारी फिर उसी कुर्सी पर दिखाई दे सकता है,लेकिन यह केवल व्यंग्य है,वास्तविकता तभी सामने आएगी जब संबंधित अधिकारी यह बताएंगे कि विवेक कुमार चौरसिया की पुनर्नियुक्ति या पुनर्बहाली के लिए कौन-सा वैधानिक प्रावधान लागू किया गया।

जवाब जरूरी है,क्योंकि सवाल अब सार्वजनिक है...

सोनपुर समिति की कहानी में अभी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा,उपलब्ध दस्तावेज कई गंभीर प्रश्न जरूर उठाते हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष सक्षम जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही निकल सकता है,इसलिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल हैं क्या विवेक कुमार चौरसिया को 9 जुलाई 2025 को समिति से पृथक किया गया था? यदि हां,तो किस आधार पर? क्या उन्हें अब दोबारा कार्य पर रखने का निर्णय लिया गया है? यदि हां,तो किस आदेश और किस नियम के तहत? क्या 7 अगस्त 2026 की संचालक मंडल बैठक में उनकी बहाली का प्रस्ताव रखा गया? क्या उनके विरुद्ध पूर्व कार्रवाई की समीक्षा हुई? क्या उनकी मूल नियुक्ति नियमसम्मत थी? क्या किसी न्यायालय ने बहाली का आदेश दिया है? और साधना कुशवाहा के मामले में–2023 में सेवा समाप्ति के बाद उनकी बाद की सेवा स्थिति क्या रही? क्या सेवा समाप्ति आदेश कभी निरस्त हुआ? यदि हां,तो किस सक्षम अधिकारी ने और किस आधार पर? इन सवालों के जवाब आने चाहिए।

कुर्सी किसी की निजी संपत्ति नहीं

सहकारिता विभाग में अधिकारी और कर्मचारी आते-जाते रहेंगे, प्राधिकृत अधिकारी बदलेंगे, शाखा प्रबंधक बदलेंगे,संचालक मंडल बदलेगा, लेकिन समिति किसानों की रहेगी, इसलिए कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है कुर्सी की जवाबदेही,सोनपुर की कहानी फिलहाल यही पूछ रही है-क्या नियम कर्मचारी को हटाते हैं या अधिकारी? क्या बैठक निर्णय लेती है या निर्णय के लिए बैठक बुलाई जाती है? क्या सेवा समाप्ति वास्तव में समाप्ति है या केवल कुछ समय के लिए 'विराम'? और सबसे महत्वपूर्ण-अगर सब कुछ नियम से हो रहा है तो नियम की पूरी किताब जनता के सामने रखने में आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि सहकारिता में किसान को सबसे ज्यादा जरूरत धान के सही वजन की नहीं,बल्कि व्यवस्था के सही वजन की है,और जब तराजू व्यवस्था का हो, तो उसकी दोनों पलड़े बराबर रहना ही असली सहकारिता है।

आईआईटी दिल्ली से एम.टेक की उपाधि हासिल कर अनुराग जायसवाल ने बढ़ाया कोरिया का गौरव

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल के पुत्र अनुराग की उपलब्धि पर परिवार में खुशी,कड़ी मेहनत और समर्पण को मिली सफलता

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) से निर्माण इंजीनियरिंग एवं प्रबंध में प्रौद्योगिकी निष्णात यानी M.Tech की उपाधि सफलतापूर्वक प्राप्त कर अनुराग जायसवाल ने अपने परिवार के साथ-साथ कोरिया जिले का नाम भी गौरवान्वित किया है, उनकी इस उपलब्धि पर परिवार,शुभचिंतकों और परिचितों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं,अनुराग जायसवाल को यह सफलता उनकी मेहनत,लगन, समर्पण और दृढ़ संकल्प का परिणाम मानी जा रही है,देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण उपाधि हासिल करना उनके शैक्षणिक सफर की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने दी बधाई-अनुराग जायसवाल के पिता एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं,उन्होंने कहा कि अनुराग ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार का गौरव

बढ़ाया है,आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से M.Tech की उपाधि प्राप्त करना पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है,परिवार के सदस्यों ने भी अनुराग को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी वर्षों की मेहनत और निरंतर प्रयास का शानदार परिणाम है, परिवार ने कहा कि अनुराग ने अपनी पढ़ाई के दौरान जिस समर्पण और दृढ़ता के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, उसका परिणाम आज सामने है।

परिवार ने कहा...आपकी सफलता पर हमें गर्व-अनुराग की सफलता पर मां, पिता, बहन और परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी व्यक्त की। परिवार का कहना है कि अनुराग की यह उपलब्धि केवल एक शैक्षणिक उपाधि हासिल करना नहीं,बल्कि उनके परिश्रम और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता की पहचान है, परिवारजनों ने अनुराग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि'आपकी मेहनत,समर्पण और दृढ़ संकल्प का यह शानदार परिणाम है,हमें आपकी इस उपलब्धि पर बेहद गर्व है,उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि अनुराग की यह सफलता उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो और वे आगे भी अपने कार्यक्षेत्र में निरंतर सफलता हासिल करते हुए नई ऊंचाइयों को छुएं।

कोरिया के युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक उपलब्धि-आईआईटी दिल्ली जैसे देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान से M.Tech की उपाधि हासिल करना अनुराग जायसवाल की व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है, उनकी सफलता यह संदेश देती है कि निरंतर मेहनत,अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के माध्यम से उच्च स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

अनुराग की इस उपलब्धि पर परिवार और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके सफल,उज्ज्वल और सुखद भविष्य की कामना की है।

कोरिया में फरार आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई का अलग-अलग पैमाना?

नौगई तिहरे हत्याकांड में 12 गिरफ्तारियों के बाद भी कुछ आरोपी फरार,जांच सीबीआई के हाथ पहुंची

बैकुंठपुर नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामले में दो फरार आरोपियों पर इनाम 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार और संपत्ति कुर्की की तैयारी...सूरजपुर के जमीन फर्जीवाड़े में तहसीलदार संजय राठौर की अग्रिम जमानत खारिज,अब गिरफ्तारी का इंतजार...

सवाल किसी एक मामले की कार्रवाई पर नहीं,बल्कि गंभीर अपराधों में पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे समान मानदंड पर है–क्या हर फरार आरोपी के लिए पुलिस के पास एक जैसी रणनीति है?

-रवि सिंह-

कोरिया/सूरजपुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी समानता मानी जाती है,अपराध की गंभीरता चाहे जितनी हो,आरोपी कितना प्रभावशाली हो या सामान्य व्यक्ति, कानून की प्रक्रिया सभी के लिए एक समान होनी चाहिए,इसी सिद्धांत के आधार पर पुलिस की कार्रवाई भी देखी जाती है,लेकिन कोरिया जिले में सामने आए तीन अलग-अलग मामलों को यदि क्रमवार देखा जाए तो पुलिस की कार्रवाई के तरीके को लेकर कई सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं।

एक तरफ नौगई तिहरे हत्याकांड जैसा जघन्य मामला है,जिसमें पुलिस की जांच के दौरान 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ आरोपी फरार बताए जाते रहे और जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई,दूसरी तरफ बैकुंठपुर में नाबालिग छात्रा की आत्महत्या से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद फरार दो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पहले 5 हजार का इनाम घोषित किया और अब इसे बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है,साथ ही फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की बात भी सामने आई है,तीसरा मामला तत्कालीन भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर से जुड़ा है,सूरजपुर जिले में पदस्थ रहते हुए जीवित महिला को मृत बताकर जमीन के नामांतरण और उसके बाद जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ,मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है, अब सवाल यह है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए किस स्तर की कार्रवाई करती है,यहां सवाल किसी आरोपी को बचाने या किसी आरोपी को दोषी साबित करने का नहीं है,सवाल केवल इतना है कि यदि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता है,तो क्या यह प्राथमिकता सभी गंभीर मामलों में समान रूप से दिखाई देती है?

नौगई तिहरा हत्याकांड... 12 गिरफ्तारियां,लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई?

कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र का नौगई तिहरा हत्याकांड ऐसा मामला रहा जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया,घटना की भयावहता को देखते हुए पुलिस पर शुरू से ही दबाव था कि सभी आरोपियों तक पहुंचा जाए और मामले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाए,पुलिस की जांच के दौरान 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई, यह पुलिस की कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा था,लेकिन इसके बावजूद मामले में कुछ लोगों के फरार होने की बात सामने आती रही, स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर यह भी चर्चा रही कि घटना में शामिल लोगों की संख्या 12 से अधिक हो सकती है, सूत्रों के हवाले से 15 से 16 लोगों तक के शामिल होने की बात कही जाती रही है,हालांकि इस संख्या को आधिकारिक रूप से तभी अंतिम माना जा सकता है जब जांच एजेंसी के रिकॉर्ड में इसकी पुष्टि हो,यही कारण है कि नौगई मामले में सबसे बड़ा सवाल केवल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या का नहीं, बल्कि फरार बताए जा रहे आरोपियों की स्थिति का है,जब जांच पुलिस के हाथ में थी,तब स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद थी कि पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए अधिकतम प्रयास करेगी,लेकिन जांच सीबीआई को सौंपे जाने तक भी सभी आरोपियों के पकड़े जाने की बात सामने नहीं आई।

5 हजार का इनाम बढ़ाकर 10 हजार

कोरिया पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बैकुंठपुर थाना अपराध क्रमांक 214/2026 में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहले 5 हजार का इनाम घोषित किया गया था, अब पुलिस अधीक्षक,जिला कोरिया ने इस इनाम राशि को बढ़ाकर 10 हजार कर दिया, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार की इनाम राशि दी जाएगी और सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी,अर्थात पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश को लेकर सार्वजनिक रूप से दबाव बढ़ाया है, यह कार्रवाई अपने आप में गलत नहीं,बल्कि कानून के तहत आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उठाया गया एक कदम है,सवाल केवल यह है कि इसी प्रकार की रणनीति अन्य गंभीर मामलों में क्यों नहीं दिखाई देती?

इनाम के साथ संपति कुर्की की कार्रवाई का संकेत

बैकुंठपुर मामले में पुलिस ने केवल इनाम राशि बढ़ाने तक बात सीमित नहीं रखी,फरार आरोपियों की अचल संपत्तियों के संबंध में कुर्की की कार्रवाई की बात भी सामने आई है, यदि कोई आरोपी लगातार फरार है और कानून के तहत उसके विरुद्ध संपत्ति संबंधी कार्रवाई की स्थिति बनती है तो यह गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने का प्रभावी माध्यम हो सकता है, लेकिन अब यही बात नौगई मामले से तुलना को जन्म देती है,नौगई में भी कुछ आरोपी फरार बताए जाते रहे, वह मामला तीन लोगों की हत्या से जुड़ा था, पुलिस के हाथ में रहते हुए 12 गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन सभी आरोपियों तक पहुंचने की बात सामने नहीं आई, तो फिर सवाल है–क्या उस मामले में फरार आरोपियों पर इसी प्रकार इनाम बढ़ाने और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दी?

सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद बदला जांच का स्वरूप

नौगई मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई,इसका अर्थ यह हुआ कि मामले की जांच की मुख्य जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास चली गई,लेकिन इससे एक पुराना सवाल खत्म नहीं होता,जब तक जांच पुलिस के पास थी,तब तक फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या-क्या किया? क्या उनके संभावित ठिकानों पर विशेष दबिश दी गई? क्या उनके विरुद्ध इनाम घोषित करने पर विचार हुआ? क्या उनकी संपत्तियों के संबंध में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई? क्या फरार आरोपियों को सार्वजनिक रूप से तलाशने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया? इन सवालों के जवाब जनता के सामने स्पष्ट रूप से आने चाहिए, क्योंकि यही तुलना अब बैकुंठपुर मामले के साथ की जा रही है।

बैकुंठपुर नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामला

फरार आरोपियों पर बढ़ता पुलिस दबाव–जुलाई 2026 में बैकुंठपुर में एक नाबालिग छात्रा से जुड़ी घटना सामने आई, जानकारी के अनुसार छात्रा एक दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी,वहां चोरी की घटना हुई,इसके बाद वह घर लौटी और करीब 18 घंटे बाद आत्महत्या कर ली, घटना के बाद मामला गंभीर रूप ले गया,पुलिस ने दुकान संचालक सहित आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है,जबकि जगत कुमार वेद और दीपक वेद फरार बताए जा रहे हैं,यहीं पुलिस की कार्रवाई का वह स्वरूप सामने आया है जिसने पूरे मामले को दूसरी दिशा में चर्चा का विषय बना दिया।

तीसरा मामला–तहसीलदार संजय राठौर का जमीन फर्जीवाड़ा

अब तीसरा मामला पुलिस के लिए अलग तरह की चुनौती है,सूरजपुर जिले के भैयाथान में तहसीलदार के पद पर रहते हुए संजय कुमार राठौर पर आरोप लगा कि एक जीवित महिला को मृत दर्शाकर उसकी जमीन से संबंधित राजस्व प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया गया,आरोप केवल इतना नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में महिला को मृत बताया गया,बल्कि शिकायत में यह भी आरोप सामने आया कि इसके बाद जमीन के हिस्से का संबंध तहसीलदार की पत्नी के नाम से हुए जमीन लेन-देन से जुड़ता है,इस मामले में लंबे समय तक शिकायत, जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया चली। अंततः सूरजपुर जिले में अपराध दर्ज हुआ, यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मामला सूरजपुर जिले का है, लेकिन संजय राठौर बाद में कोरिया जिले में पदस्थ रहे और वर्तमान प्रकरण को लेकर उनकी गिरफ्तारी का सवाल अब कोरिया और सूरजपुर दोनों जिलों की पुलिस व्यवस्था से जुड़ता दिखाई देता है।

एफआईआर के बाद अग्रिम जमानत,लेकिन न्यायालय से राहत नहीं–एफआईआर सामने आने के बाद संजय राठौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का सहारा लिया,लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है,इसका अर्थ यह नहीं है कि वे न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किए जा चुके हैं,अपराध सिद्ध होना और जमानत का प्रश्न दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस के सामने उनकी गिरफ्तारी और जांच को आगे बढ़ाने का प्रश्न जरूर खड़ा है, यहीं इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है–क्या पुलिस उसी तत्परता से तहसीलदार संजय राठौर को गिरफ्तार करेगी, जिस तत्परता से बैकुंठपुर मामले के फरार आरोपियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है?

क्या कानून की धाराएं ही कार्रवाई की गति तय करती हैं या आरोपी की स्थिति भी–पुलिस की कार्रवाई अपराध की प्रकृति, साक्ष्य,आरोपी की भूमिका,न्यायालय के आदेश और जांच की परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकती है,इसलिए केवल अलग-अलग कार्रवाई को देखकर तुरंत दोहरे मापदंड का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन जनता यह जरूर पूछ सकती है कि यदि पुलिस के पास फरार आरोपी को पकड़ने के लिए इनाम, सार्वजनिक अपील और संपत्ति कुर्की जैसे उपाय हैं,तो इन उपायों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता है? क्या इसके लिए कोई लिखित नीति है? क्या गंभीर अपराधों में फरार आरोपियों की सूची बनाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्तर की कार्रवाई तय होती है? क्या पुलिस अधीक्षक स्तर पर ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा होती है? और यदि होती है तो नौगई जैसे मामले में फरार आरोपियों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पीड़ित परिवारों के लिए न्याय का मतलब केवल एफआईआर नहीं–किसी भी गंभीर अपराध में पीड़ित परिवार के लिए एफआईआर दर्ज होना पहला कदम है, इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच, साक्ष्य का संरक्षण और न्यायालय में मजबूत अभियोजन–ये सभी चरण महत्वपूर्ण होते हैं, नौगई के पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई। मामला अंततः सीबीआई जांच तक पहुंचा, बैकुंठपुर मामले में भी परिवार और समाज न्याय की अपेक्षा कर रहा है, ऐसे में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबाव बढ़ाना जरूरी कदम है, इसी तरह संजय राठौर मामले में जमीन से जुड़े शिकायतकर्ता भी न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए किसी भी मामले में पुलिस की कार्रवाई का अंतिम मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं, बल्कि यह देखना होगा कि एफआईआर के बाद पुलिस ने कितनी प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई की।

पुलिस के लिए चुनौती—समान कार्रवाई का भरोसा कैसे कायम होगा?–कोरिया जिले में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल फरार आरोपियों को पकड़ना नहीं, बल्कि यह भरोसा कायम करना भी है कि कानून सभी के लिए समान है, यदि बैकुंठपुर मामले में पुलिस फरार आरोपियों पर इनाम बढ़ा सकती है,संपत्ति कुर्की की कार्रवाई कर सकती है और जनता से सूचना मांग सकती है तो जनता यह जानना चाहेगी कि नौगई के फरार आरोपियों के लिए क्या रणनीति है, और यदि अग्रिम जमानत खारिज हो चुके तहसीलदार की गिरफ्तारी में कोई कानूनी बाधा नहीं है तो पुलिस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि गिरफ्तारी की कार्रवाई किस स्तर पर है।

यह सवाल पुलिस के खिलाफ आरोप नहीं,कार्रवाई की पारदर्शिता की मांग है–पूरे मामले को इस रूप में देखना अधिक उचित होगा कि सवाल पुलिस की नीयत पर सीधे आरोप लगाने का नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई में दिखाई देने वाली समानता और पारदर्शिता का है, क्योंकि बैकुंठपुर मामले में पुलिस की सक्रियता दिखाई दे रही है और यह स्वागत योग्य है, फरार आरोपियों पर दबाव बनाना और उन्हें गिरफ्तार करना कानून व्यवस्था की दृष्टि से जरूरी है, लेकिन यही सक्रियता यदि नौगई के फरार आरोपियों और संजय राठौर जैसे मामलों में भी समान रूप से दिखाई देती है तो इससे पुलिस की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

तहसीलदार कोई सामान्य आरोपी नहीं-इसीलिए सवाल और गंभीर

संजय राठौर का मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, यदि किसी सामान्य नागरिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो और उसकी अग्रिम जमानत खारिज हो जाए तो पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की अपेक्षा स्वाभाविक है,फिर यदि आरोपी प्रशासनिक पद पर रहा हो तो कानून के सामने उसकी स्थिति अलग नहीं होनी चाहिए,बल्कि प्रशासनिक पद पर रहे व्यक्ति के मामले में तो जांच और भी अधिक पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि जनता के बीच यह संदेश जाए कि पद और प्रभाव कानून से ऊपर नहीं हैं।

तीनों मामलों को एक साथ देखने पर उठता है बड़ा सवाल,अब इन तीनों घटनाओं को क्रमवार रखिए

- **नौगई तिहरा हत्याकांड**–12 गिरफ्तारियां हुईं, कुछ आरोपी फरार बताए गए। पुलिस के हाथ में जांच रहने के दौरान सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
- **बैकुंठपुर नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामला**–मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो आरोपी फरार, पहले 5 हजार इनाम, बाद में बढ़ाकर 10 हजार,संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की बात।
- **संजय राठौर जमीन फर्जीवाड़ा**–सूरजपुर में एफआईआर, आरोपी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके,अग्रिम जमानत की याचिका खारिज। अब गिरफ्तारी की प्रतीक्षा, तीनों मामलों की परिस्थितियां निश्चित रूप से अलग हैं, लेकिन फरार आरोपी की गिरफ्तारी तीनों में एक साझा बिंदु है, और इसी साझा बिंदु पर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अब तीनों मामलों में पुलिस से अपेक्षित जवाब

- **पहला**–नौगई तिहरा हत्याकांड में अब तक कितने आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई हुई?
- **दूसरा**–क्या फरार आरोपियों के खिलाफ इनाम या संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?
- **तीसरा**–बैकुंठपुर मामले में ?10 हजार इनाम बढ़ाने के बाद फरार दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की अगली कार्रवाई क्या है?
- **चौथा**–संजय राठौर की अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए सूरजपुर पुलिस और कोरिया पुलिस के बीच क्या समन्वय है?
- **पांचवां**–क्या प्रशासनिक पद पर रहे आरोपी के मामले में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो किसी अन्य फरार आरोपी के लिए अपनाई जाती है?

अंतिम सवाल–क्या कानून सचमुच सबके लिए बराबर है?

कोरिया जिले के इन तीन मामलों की तुलना किसी निष्कर्ष को पहले से तय करने के लिए नहीं,बल्कि एक जरूरी सवाल उठाने के लिए है,यदि कानून सबके लिए बराबर है तो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की रणनीति भी पारदर्शी और तर्कसंगत होनी चाहिए,नौगई तिहरा हत्याकांड में जिन आरोपियों के फरार होने की बात सामने आती रही, उनके खिलाफ कार्रवाई का विवरण जनता को मिलना चाहिए,बैकुंठपुर मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बढ़ाया गया इनाम और प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई अपने परिणाम तक पहुंचनी चाहिए,वहीं संजय राठौर मामले में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई अब पूरे मामले की दिशा तय करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की कार्रवाई अपराध की गंभीरता से अधिक मामले की परिस्थितियों के अनुसार बदलती दिखाई दे रही है? या फिर हर मामले में अलग-अलग कानूनी और जांच संबंधी परिस्थितियां हैं, जिन्हें पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड ही स्पष्ट कर सकता है? इसका जवाब पुलिस को देना चाहिए,क्योंकि अंततः सवाल जगत वेद, दीपक वेद,नौगई के फरार आरोपियों या संजय राठौर में से किसी एक व्यक्ति का नहीं है,सवाल यह है कि जिस कानून के भरोसे पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं,उस कानून को लागू करने वाली पुलिस की कार्रवाई क्या सभी मामलों में समान दिखाई देती है? और यदि पुलिस का जवाब है कि कानून सभी के लिए बराबर है, तो अब जरूरत केवल बयान की नहीं, बल्कि कार्रवाई में उस समानता को दिखाने की है।

एनएच की स्ट्रीट लाइटें गायब होने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

सौरव मिश्रा ने थाने में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की,बोले...20 फीट ऊंचाई पर लगी लाइटें आखिर कैसे हुईं गायब?

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय राजमार्ग के विद्युत खंभों से स्ट्रीट लाइटें गायब होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता थाने पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि बैकुंठपुर से मनेंद्रगढ़ की ओर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर की शुरुआत से लेकर नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की सीमा तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें गायब हैं, इसके कारण रात के समय सड़क का बड़ा हिस्सा अंधेरे में रहता है और वाहन चालकों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

20 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगी लाइटें कैसे हुईं गायब?–सौरव मिश्रा ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विद्युत

खंभों पर 20 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगी स्ट्रीट लाइटें आखिर कैसे गायब हो गईं,उनका कहना है कि इतनी ऊंचाई पर लगी लाइटों को हटाने के लिए लिफ्टर या बकेट वाहन जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्होंने मांग की कि जांच के दौरान क्षेत्र में संचालित हाइड्रोलिक लिफ्टर और बकेट वाहनों की जानकारी जुटाई जाए तथा यह पता लगाया जाए कि संबंधित अवधि में ऐसे कौन से वाहन घटनास्थल के आसपास पहुंचे थे, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच कराई जाए।

यह केवल लाइट चोरी का मामला नहीं–कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला केवल स्ट्रीट लाइटों के गायब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा है, यदि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी संपत्ति गायब हुई है तो संबंधित विभाग को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई,यह जांच का विषय है, उन्होंने कहा कि यदि लाइटें चोरी हुई हैं तो उन्हें हटाने वाले लोगों और इसमें इस्तेमाल हुए वाहनों की पहचान की जानी चाहिए,वहीं, यदि किसी अन्य कारण से लाइटें हटाई गई हैं तो संबंधित विभाग को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

किसी व्यवस्था को छिपाने के लिए तो नहीं हटाई गईं लाइटें?–सौरव मिश्रा ने जांच के दौरान इस पहलू को भी शामिल करने की मांग की कि कहीं किसी नगरीय निकाय की अपनी व्यवस्था या किसी अन्य स्तर की नाकामी को छिपाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की स्ट्रीट लाइटें तो नहीं हटाई गईं,उन्होंने कहा कि यह फिलहाल जांच का विषय है और इसकी सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकती है।

कांग्रेस नेता व्यंकटेश सिंह ने कहा कि एनएच पर रोशनी की व्यवस्था प्रभावित होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को बयानबाजी के बजाय जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

नमूना सहायक से FSO पदोन्नति पर फिर सवाल

क्या इस बार नियमों के आधार पर होगा चयन या फिर दोहराई जाएगी पुरानी कहानी ?

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदोन्नति पर उठे नए सवाल,योग्य को मिलेगा अधिकार या जुगाड़ तय करेगा पदोन्नति की राह

एफएसओ पदोन्नति की नई सूची पर सबकी नजर, दैनिक घटती-घटना ने वर्षों से उठाए सवाल, अब नियमों और पात्रता की अग्निपरीक्षा

पदोन्नति का हक योग्य को,जुगाड़ वालों को नहीं...एफएसओ की नई सूची से पहले भर्ती नियम,तकनीकी योग्यता और पारदर्शिता की अग्निपरीक्षा

पदोन्नति से पहले भर्ती नियमों की होगी पड़ताल? नई एफएसओ सूची से पहले पात्रता,तकनीकी योग्यता और पारदर्शिता पर उठी मांग...

पदोन्नति का हक योग्य को,जुगाड़ वालों को नहीं नई एफएसओ सूची से पहले भर्ती नियमों के पालन की उठी मांग...

नियम बनाम पदोन्नति,खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की सबसे बड़ी परीक्षा

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,09 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर एक और पदोन्नति सूची जारी होने की चर्चाओं के बीच विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है,पिछले कई वर्षों से नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर विवाद उठते रहे हैं,भर्ती नियमों,शैक्षणिक योग्यता,तकनीकी पात्रता, विभागीय पदोन्नति समिति की भूमिका तथा पदोन्नति के कानूनी आधार को लेकर लगातार प्रश्न उठाए गए,लेकिन विभाग की ओर से अब तक ऐसा कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया,जिससे इन विवादों पर पूर्ण विराम लग सके। दैनिक घटती-घटना ने भी समय-समय पर इस विषय पर लगातार समाचार प्रकाशित कर यह प्रश्न उठाया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे अत्यंत तकनीकी पद पर पदोन्नति किन नियमों के तहत दी जा रही है,समाचारों में यह भी पूछा गया कि यदि किसी कर्मचारी को नियमों के अनुसार पदोन्नति मिलती है तो उसका स्वागत होना चाहिए,लेकिन यदि नियमों की अनदेखी कर किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाता है,तो इससे योग्य कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे और पूरी चयन प्रक्रिया विवादों में घिर जाएगी।

दीपक अग्रवाल की टेबल पर पदोन्नति सूची?

खाद्य विभाग में नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने को लेकर पहले से विवाद बना हुआ है, विभागीय सूत्रों का दावा है कि पदोन्नति से संबंधित नई सूची स्थापना शाखा में तैयार है और वह दीपक अग्रवाल के स्तर पर विचाराधीन है,आलोचकों का आरोप है कि जिन मामलों को लेकर पहले से न्यायालयों में विवाद लंबित हैं और जिन नियमों की व्याख्या पर प्रश्न उठ रहे हैं,उन्हीं परिस्थितियों में नई पदोन्नति सूची आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है,यदि ऐसा है तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पदोन्नति की प्रक्रिया किन नियमों, राजपत्र अधिसूचनाओं और न्यायालयीन आदेशों के आधार पर संचालित की जा रही है, यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियमित भर्ती वर्षों से नहीं हुई है,तो क्या केवल पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियां भरना दीर्घकालिक समाधान है? और यदि पदोन्नति ही विकल्प है,तो क्या सभी पात्र कर्मचारियों के साथ समान और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

भर्ती नहीं,पदोन्नति पर जोर क्यों?

पिछले लगभग दस वर्षों से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियमित भर्ती नहीं हुई है,इसी बीच नमूना सहायकों की पदोन्नति को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं, सूत्रों का दावा है कि पहले पदोन्नति का प्रतिशत 10 था, जिसे बाद में 25 प्रतिशत किया गया, आलोचकों का आरोप है कि इस बदलाव का लाभ कुछ विशेष लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

'दैनिक घटती-घटना' लगातार उठाता रहा है सवाल

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदोन्नति का विषय नया नहीं है,दैनिक घटती-घटना ने पिछले कई वर्षों में इस विषय पर लगातार समाचार प्रकाशित किए हैं,समाचारों में भर्ती नियमों,तकनीकी योग्यता,पदोन्नति प्रक्रिया,विभागीय पारदर्शिता तथा सेवा नियमों के पालन को लेकर प्रश्न उठाए गए,कई बार यह भी पूछा गया कि यदि किसी प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं तो विभाग सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता,समाचार प्रकाशित होने के बावजूद अब तक विभाग की ओर से विस्तृत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण सामने नहीं आने के कारण यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है।

नई सूची से पहले पारदर्शिता की मांग...

अब जबकि नई पदोन्नति सूची जारी होने की संभावना है,कर्मचारियों और सेवा विशेषज्ञों की मांग है कि इस बार प्रत्येक अभ्यर्थी की पात्रता का दस्तावेजी परीक्षण किया जाए,यह सुनिश्चित किया जाए कि–केवल पात्र कर्मचारियों को ही पदोन्नति मिले,जीसी-डीईबी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का परीक्षण किया जाए,एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित विषयगत पात्रता की जांच हो, भर्ती नियमों और पदोन्नति कोटे का पालन किया जाए,डीपीसी प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में कारणयुक्त निर्णय दर्ज करे।

योग्य का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए

विभाग के कर्मचारियों का भी मानना है कि जो कर्मचारी वर्षों से सेवा कर रहे हैं,आवश्यक तकनीकी योग्यता रखते हैं और भर्ती नियमों की सभी शर्तें पूरी करते हैं,उनका वैधानिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए,उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करता तो उसे केवल प्रभाव,सिफारिश, राजनीतिक दबाव या किसी अन्य आधार पर पदोन्नति न मिले, इससे न केवल योग्य कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है बल्कि पूरी सेवा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

पारदर्शिता ही समाप्त कर सकती है वर्षों पुराना विवाद–खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद सीधे आम जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है,इसलिए इस पद पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी,नियमसम्मत और न्यायसंगत होनी चाहिए,यदि विभाग नई पदोन्नति सूची जारी करने से पहले भर्ती नियमों,FSSAI के निर्धारित मानकों,विभागीय सेवा नियमों तथा डीपीसी की प्रक्रिया का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करता है और पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करता है,तो वर्षों से उठ रहे अधिकांश प्रश्न स्वतः समाप्त हो सकते हैं,लेकिन यदि इस बार भी पात्रता और नियमों को लेकर उठ रही शंकाओं का समाधान नहीं हुआ,तो यह विवाद आगे भी जारी रह सकता है,इसलिए विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल पदोन्नति सूची जारी करना नहीं,बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पदोन्नति का अधिकार उसी कर्मचारी को मिले जो वास्तव में कानून, भर्ती नियम और तकनीकी योग्यता की सभी कसौटियों पर खरा उतरता हो।

विवाद पदोन्नति का नहीं,नियमों के पालन का है...

पूरे मामले को लेकर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी कर्मचारी की वैधानिक पदोन्नति का विरोध नहीं है, यदि कोई कर्मचारी निर्धारित योग्यता,अनुभव और सेवा नियमों की सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे पदोन्नति मिलना उसका अधिकार है, लेकिन विवाद तब उत्पन्न होता है जब यह आशंका व्यक्त की जाती है कि कहीं पात्रता की अनदेखी कर किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ तो नहीं दिया जा रहा,यही कारण है कि इस बार विभाग के भीतर सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि नियमों की कसौटी पर होनी चाहिए,यदि नियमों से समझौता किया गया तो इसका नुकसान उन कर्मचारियों को होगा जो वर्षों से विधिसम्मत तरीके से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद सामान्य नहीं,अत्यंत तकनीकी दायित्व वाला पद

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं होता,यही अधिकारी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता है,खाद्य पदार्थों के नमूने लेता है, जांच की प्रक्रिया शुरू करता है,आवश्यक होने पर अभियोजन की कार्रवाई करता है तथा न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसी जिम्मेदारियां निभाता है,इसलिए इस पद को तकनीकी पद माना गया है,इसी कारण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने Food Safety and Standards Rules,2011 के नियम 2.1.3 में इस पद के लिए न्यूनतम तकनीकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है,नियमों के अनुसार फूड टेक्नोलॉजी,डेयरी टेक्नोलॉजी,बायोटेक्नोलॉजी,ऑयल टेक्नोलॉजी,कृषि विज्ञान,पशु चिकित्सा विज्ञान,बायोकेमिस्ट्री,मेडिसिन अथवा रसायन विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे विषयों में निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्र माने जाते हैं,यही कारण है कि सेवा विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद केवल प्रशासनिक अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी दक्षता के आधार पर भी निर्धारित होता है।

क्या केवल वरिष्ठता पर्याप्त है?

सेवा कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी सरकारी पदोन्नति में वरिष्ठता महत्वपूर्ण होती है,लेकिन वह एकमात्र आधार नहीं होती,पदोन्नति के लिए संबंधित कर्मचारी के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता,आवश्यक सेवा अवधि,विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की अनुशंसा तथा संतोषजनक सेवा अभिलेख होना भी आवश्यक है,यदि इनमें से किसी एक अनिवार्य शर्त का भी अभाव है तो पदोन्नति भविष्य में न्यायिक चुनौती का विषय बन सकती है,इसी बिंदु को लेकर वर्षों से विभाग में चर्चा होती रही है कि पात्रता का परीक्षण किस प्रकार किया जा रहा है और क्या सभी उम्मीदवार समान मानकों पर परखे जा रहे हैं।

फीडर कैडर का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण

पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह माना जा रहा है कि राज्य के भर्ती नियमों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए फीडर कैडर कौन है,सेवा नियमों में यदि किसी पद को स्पष्ट रूप से पदोन्नति का स्रोत घोषित किया गया है तो उसी आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति आगे की प्रक्रिया करती है,यदि नियमों में स्पष्टता नहीं है या संशोधन की आवश्यकता है, तो पहले विधिसम्मत संशोधन होना चाहिए,यही कारण है कि विभाग से यह अपेक्षा की जा रही है कि नई पदोन्नति सूची जारी करने से पहले भर्ती नियमों की स्थिति स्पष्ट की जाए।

डीपीसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

विभागीय पदोन्नति समिति केवल वरिष्ठता सूची देखकर निर्णय नहीं लेती, उसका दायित्व प्रत्येक अभ्यर्थी की योग्यता,सेवा अवधि,वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन,पात्रता तथा भर्ती नियमों के अनुपालन का परीक्षण करना होता है,यदि डीपीसी सभी अभिलेखों का विधिवत परीक्षण करती है तो पदोन्नति प्रक्रिया विवादमुक्त रहती है, लेकिन यदि किसी स्तर पर पात्रता की जांच में कमी रह जाती है तो बाद में पूरी प्रक्रिया न्यायालय में चुनौती का विषय बन सकती है।

डिस्टेंस डिग्री मान्य,लेकिन एफएसओ पदोन्नति के लिए केवल डिग्री नहीं,विषय और पात्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आता है कि डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री अपने आप में अमान्य नहीं होती,यदि संबंधित विश्वविद्यालय उस अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से विधिवत मान्यता प्राप्त है,तो ऐसी डिग्री सरकारी सेवा,पदोन्नति और अन्य शासकीय उद्देश्यों के लिए सामान्य डिग्री के समान मान्य मानी जाती है,हालांकि,खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद एक विशुद्ध तकनीकी पद है,इसलिए केवल डिस्टेंस डिग्री होना पर्याप्त नहीं है, Food Safety and Standards Rules,2011 के अनुसार उम्मीदवार के पास निर्धारित तकनीकी विषयों में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है,यदि किसी अभ्यर्थी ने डिस्टेंस माध्यम से भी फूड टेक्नोलॉजी,डेयरी टेक्नोलॉजी,बायोटेक्नोलॉजी,कृषि विज्ञान,पशु चिकित्सा विज्ञान,बायोकेमिस्ट्री अथवा रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे निर्धारित विषयों में मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त की है,तो वह अन्य सभी शर्तें पूरी होने पर पात्र माना जा सकता है, इसके विपरीत यदि किसी कर्मचारी ने केवल बी.ए.,बी.कॉम. या ऐसी सामान्य डिग्री प्राप्त की है,जिसमें FSSAI द्वारा निर्धारित तकनीकी विषय शामिल नहीं हैं,तो केवल डिस्टेंस शिक्षा के आधार पर नहीं बल्कि निर्धारित विषयगत पात्रता के अभाव में वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा,विशेषज्ञों का कहना है कि पदोन्नति के समय विभाग को केवल डिग्री देखना पर्याप्त नहीं है,बल्कि यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबंधित विश्वविद्यालय उस वर्ष GC-DEB से मान्यता प्राप्त था,संबंधित पाठ्यक्रम विधिवत स्वीकृत था तथा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता Food Safety and Standards Rules,2011 में निर्धारित मानकों के अनुरूप है,इसी कारण विभाग से यह अपेक्षा की जा रही है कि प्रस्तावित पदोन्नति सूची जारी करने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार की डिग्री की वैधता,विषयगत पात्रता तथा विश्वविद्यालय की मान्यता का विधिवत परीक्षण किया जाए,ताकि भविष्य में किसी प्रकार का प्रशासनिक अथवा न्यायिक विवाद उत्पन्न न हो।

योग्य का हक सुरक्षित रहे,यही सबसे बड़ी कसौटी

पूरे विवाद का सार केवल इतना है कि किसी योग्य कर्मचारी का वैधानिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए,यदि कोई कर्मचारी सभी नियमों,योग्यता और सेवा शर्तों को पूरा करता है तो उसे पदोन्नति मिलनी ही चाहिए,लेकिन यदि कोई कर्मचारी निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करता तो उसे केवल प्रभाव, सिफारिश, राजनीतिक दबाव या विभागीय संरक्षण के आधार पर लाभ नहीं मिलना चाहिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद सीधे जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है,इसलिए इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्येक अधिकारी की योग्यता और चयन प्रक्रिया पर जनता का विश्वास होना आवश्यक है,अब निगाहें प्रस्तावित नई पदोन्नति सूची पर टिकी हैं, यदि इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, नियमसम्मत और दस्तावेज आधारित रही तो वर्षों से चल रहा विवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि फिर वही पुराने प्रश्न अनुत्तरित रह गए,तो यह मामला आगे भी प्रशासनिक और न्यायिक बहस का विषय बना रहेगा।

खाद्य विभाग ही विवादों में क्यों?

स्थापना शाखा पर भी उठ रहे हैं सवाल-पूरे प्रकरण में एक और सवाल लगातार सामने आ रहा है,आलोचकों का कहना है कि औषधि एवं खाद्य प्रशासन में सबसे अधिक विवाद खाद्य प्रशासन की स्थापना, पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर सामने आते हैं,जबकि औषधि शाखा अपेक्षाकृत विवादों से दूर रहती है,इसी कारण विभाग के भीतर यह मांग भी उठ रही है कि खाद्य प्रशासन की स्थापना संबंधी मामलों की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए और यदि आवश्यकता हो तो इन मामलों की निगरानी ऐसे अधिकारियों को सौंपी जाए,जिन्हें खाद्य प्रशासन की सेवा नियमावली और तकनीकी ढांचे का प्रत्यक्ष अनुभव हो, एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग में सबसे अधिक विवाद खाद्य प्रशासन शाखा में ही क्यों दिखाई देते हैं? जबकि औषधि शाखा अपेक्षाकृत कम विवादों में रहती है,क्या दोनों शाखाओं की कार्यप्रणाली अलग है? क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतर है? या फिर इसके पीछे कोई अन्य प्रशासनिक कारण है? इन प्रश्नों का उत्तर विभाग को देना होगा।

क्या विभाग में 'सिंडिकेट' सक्रिय है?

कुछ शिकायतकर्ताओं और विभागीय सूत्रों का दावा है कि विभाग में एक प्रभावशाली समूह सक्रिय है,जो पदस्थापना,पदोन्नति और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को प्रभावित करता है, कुछ आरोप यह भी हैं कि विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्राथमिकता दिलाने की कोशिश होती रही है,यदि विभाग इन आरोपों को निराधार मानता है तो पारदर्शिता के हित में संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है।

अब जवाबदेही तय होना जरूरी

यह स्पष्ट है कि किसी भी अधिकारी पर लगे आरोप तब तक सिद्ध नहीं माने जा सकते,जब तक सक्षम जांच एजेंसी या न्यायालय ऐसा न कहे,लेकिन जब वर्षों से शिकायतें,न्यायालयीन विवाद,पदोन्नति प्रक्रिया पर प्रश्न और विभागीय चर्चाएं लगातार सामने आती रहें,तो विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करे, यदि सभी निर्णय नियमों के अनुरूप हुए हैं,तो विभाग को संबंधित आदेश,पात्रता,पदोन्नति प्रक्रिया और पदस्थापन का आधार सार्वजनिक कर विवाद समाप्त करना चाहिए,और यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है,तो जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी भी विभाग की विश्वसनीयता का आधार केवल अधिकार नहीं,बल्कि पारदर्शिता,जवाबदेही और नियमों का समान अनुपालन होता है। यही कसौटी इस पूरे प्रकरण पर भी लागू होती है।

राज्य खाद्य प्रयोगशाला पर भी सवाल

राज्य की एकमात्र खाद्य प्रयोगशाला को लेकर भी विभागीय चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं, आरोप है कि प्रयोगशाला में पदस्थापना और कार्य आवंटन को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं,विभागीय सूत्रों का दावा है कि प्रयोगशाला में कुछ विशेष कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन यदि इस संबंध में शिकायतें हैं तो विभाग को उनका तथ्यात्मक उत्तर देना चाहिए।

अगले अंक में...

इस पूरे मामले को लेकर हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल का पक्ष भी जानेंगे,उनसे सीधे सवाल करेंगे कि आखिर खाद्य प्रशासन विभाग में वर्षों से उठ रहे पदस्थापना,अतिरिक्त प्रभार,पदोन्नति,खाद्य प्रयोगशाला और नियमों को लेकर लग रहे आरोपों पर सरकार की क्या राय है? क्या विभागीय शिकायतों और विवादों की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी या वर्तमान व्यवस्था को ही सही माना जाएगा? पढ़िए अगले अंक में– स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ विशेष बातचीत,जिसमें जानेंगे कि इन गंभीर आरोपों और विभागीय विवादों पर सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या है और आगे की कार्रवाई को लेकर उनका क्या कहना है।

'आगे भी खबर जारी रहेगा... '

C M Y K

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज बदल जाएगी सुनवाई की व्यवस्था

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज नया रोस्टर लागू होगा

रायपुर,09 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज नया रोस्टर लागू होगा। चीफ जस्टिस की ओर से जारी नए रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए मामलों का अलग-अलग निर्धारण किया गया है। हाईकोर्ट में इस बार भी 4 डिविजन बेंच में मामलों की सुनवाई होगी। अलग-अलग बेंच को मामलों की प्रकृति और वर्ष के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है। रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील,हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील समेत अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच आपराधिक मामलों और वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-3 को वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, डिविजन बेंच-4 में सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से जुड़े अपीलों की सुनवाई होगी। सिंगल बेंच में भी मामलों का वर्षवार और विषयवार बंटवारा किया गया है। चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले,आपराधिक अपील,दूसरी अपील और अन्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। रोस्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई की जाएगी।

ट्रेन से गांजा तस्करी करने वाले को 12 साल कैद...महासमुंद रेलवे स्टेशन पर 2021 में पकड़ा गया था,साथी फरार घोषित

रायपुर,09 अगस्त 2026। ट्रेन में 22 किलो गांजा रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर की अदालत ने आरोपी कैलाश सहनी को दोषी ठहराते हुए 12 साल के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अप्रैल 2021 का है। आरोपी को महासमुंद रेलवे स्टेशन पर गांजे के साथ पकड़ा गया था। अभियोजन के अनुसार,8 अप्रैल 2021 को ट्रेन नंबर 08518 स्पेशल एक्सप्रेस महासमुंद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुंची थी। ट्रेन में तैनात स्टाफ ने दो संदिग्धों को चार बैग के साथ पकड़ा। पूछताछ में उनकी पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी कैलाश सहनी और संतोष कुमार के रूप में हुई। तलाशी के दौरान कैलाश सहनी के दो बैग से 7 पैकेट और संतोष कुमार के बैग से 5 पैकेट मिले। पैकेटों को खोलने पर उनमें गांजा मिला। मौके पर तौल करने पर कैलाश के कब्जे से 22 किलो और संतोष के कब्जे से 17.650 किलो, कुल 39.650 किलो गांजा बरामद हुआ था।

मुख्यमंत्री साय ने सांसद संजय सिंह के 'हाईजैक' वाले बयान को नकारा...

डबल इंजन सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ का तेजी से हुआ विकास : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,09 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के उस बयान को खारिज किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीते ढाई सालों में डबल इंजन की सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है। जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रदेश सरकार को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों से डबल इंजन की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और इसी वजह से राज्य के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता से किए गए वादों को पूरा करना और छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा देना है। अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान को लेकर सवाल

पूछा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का वादा किया गया था और सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से किए गए वादों को भी पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंच रहा है और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। ई20 पेट्रोल को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के संबंध में भी मुख्यमंत्री साय से सवाल किया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी केवल वोटों की भाषा समझते हैं। इस पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज देश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और इसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भारत की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 12 वर्ष पहले भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में दसवें स्थान पर था, लेकिन अब देश चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बदलाव दिखाई दे रहा है। अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने वाले 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक का स्वागत करती है।

बिलासपुर में श्मशान घाट पर तांत्रिक क्रिया

जज की फोटो रखकर साधना करते आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर,09 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित सीपत थाना क्षेत्र के देवरी गांव में श्मशान घाट पर तांत्रिक क्रिया करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्मशान घाट में चार युवक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो अन्य लोगों की तस्वीरें रखकर संदिग्ध पूजा-पाठ कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि तीन अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सीपत थाना पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने जब तांत्रिक क्रिया देख शोर मचाया, तो श्मशान घाट में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो वहां पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई।

घटनास्थल से सिंदूर, नींबू, नारियल, सूखी सामग्री और एक मरी हुई मछली के साथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो मिली। पुलिस ने बिलासपुर के राजकिशोर नगर निवासी ऋषिकेश कुमार नाम के युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे बाकी साथियों के ठिकानों और इस कृत्य के पीछे की पूरी कड़ी के बारे में पूछताछ कर रही है। देवरी का यह मुक्तिधाम पहले भी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चर्चा में रह चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट में इससे पहले भी अवांछित लोगों द्वारा तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ के प्रयास किए जा चुके हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी असंतोष था। इसी सतर्कता के कारण शुक्रवार की रात जब श्मशान घाट में रोशनी और हलचल देखी गई, तो ग्रामीणों ने दूर से ही निगरानी शुरू कर दी थी। मामला संदिग्ध लगते ही पूरा गांव एकजुट हो गया और मौके पर जाकर आरोपियों को घेर लिया। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी का रिश्तेदार प्रियांशु चाकूबाजी के एक मामले में जेल में बंद है। जमानत की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। आरोपी युवक इंटरनेट मीडिया के जरिए एक तांत्रिक के संपर्क में आया था, जिसने श्मशान घाट में जज की तस्वीर रखकर पूजा करने से जमानत मिलने का दावा किया था।

दादा ने अपने ही बेटे के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर,नाबालिग बेटी से दुष्कर्म

मामले में हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्रकैद

बिलासपुर,09 अगस्त 2026। अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए पिता को बिलासपुर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अदालत ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराध की पीड़िता की गवाही यदि विश्वसनीय है,तो केवल उसी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है और ऐसी गवाही पर संदेह करने का कोई आधार नहीं होने पर अदालत को हिचकिचाना नहीं चाहिए। मामला अगस्त 2019 का है। आरोपी शराब का आदी था और उसके मारपीट करने

से परेशान होकर पत्नी बच्चों को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद बच्चे अपने दादा-दादी के साथ रहने लगे। इसी दौरान आरोपी अपनी 13-14 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी तो उसके दादा ने बिना किसी दबाव के थाने पहुंचकर अपने ही बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)